उन्नति विचार

वर्ष : 13 अंक : 2 मई-अगस्त, 2008

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

- सामाजिक अंकेक्षणः उद्देश्य दृष्टिकोण, पद्धतियां और समस्याएं 2

नज़रिया

- सहभागी पद्धतियां किस रास्ते पर? 13
- असली अपराधियों तक पहुँचें 15

अपनी बात

- स्थानीय निकायों की प्रतिभावात्मकताः गुजरात में सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नागरिक ढाँचे 18

गतिविधियाँ एवं भावी कार्यक्रम 29

संदर्भ सामग्री 32

अपने बारे में 33

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

उत्तरदायित्व का मार्गः सामाजिक अंकेक्षण के जरिए पारदर्शिता

दुनिया भर में हाल के वर्षों के दौरान शासन की संस्थाओं को पारदर्शी बनाने के प्रयास काफी सघन हुए हैं। जहां तक विकास की समस्याओं का सम्बंध है, तो यह साबित हुआ है कि विकास में जो खामियां रह जाती हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कारण शासन में खामी है। गरीबों, पिछड़े लोगों, वंचितों, रहितों, महिलाओं, बालकों, विकलांगों, अशक्तों और अन्य अवसर वंचितों और लाभ वंचितों के वर्गों के प्रति उत्तरदायी बनने की बजाए शासन अधिकांशतः धनवानों और उनके हितों के प्रति उत्तरदायी दिखता रहा है। यह माना जाता है कि रवैया बदल कर शासन को इन वर्गों के प्रति उत्तरदायी बनाना हो, तो उसका पारदर्शी बनना आवश्यक है। इसके लिए नई कार्यपद्धति की आवश्यकता लगती है। बाजारतंत्र के संदर्भ में अधिक सावधान और कार्यप्रेरक बनने की जरूरत है।

इसके परिणामस्वरूप ही शासन और उसकी संस्थाओं तथा उसमें कार्यरत राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक खंड दोनों को उत्तरदायी बनाने के लिए ढांचे खड़े करने तथा उन्हें मजबूत करने के प्रयास किए जाते हैं। कई बार ऐसे ढांचे अस्तित्व में होने के बावजूद शासन की संस्थाएं नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं होतीं। इसका कारण यह है कि ऐसे ढांचे मात्र यांत्रिक बन जाते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती। लेखा ऑडिट इसी प्रकार का एक ढांचा बन गया है। शासन तथा उसकी संस्थाओं का ऑडिट नियमित रूप से होता रहे और फिर भी शासक नागरिकों के प्रति उत्तरदायी न हों, ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक देशों में व्यापक रूप से देखने को मिलती है। इस चिंताजनक स्थिति से बाहर आने और नागरिकों के प्रति शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता सामाजिक अंकेक्षण है। स्थानीय रूप से सोचने और कार्य करने तथा उसके लिए आयोजन करने की पद्धति ही सामाजिक अंकेक्षण है। इससे मानवतावादी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक अंकेक्षण एक नए प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह अंकेक्षण या अन्वेषण किन्हीं लेखा विशेषज्ञों द्वारा नहीं होता, बल्कि लोगों द्वारा होता है। लोग उसमें सहभागी होते हैं और शासन की संस्थाएं स्वयं जिस तरह अपने दावों के मुताबिक लोगों के प्रति उत्तरदायी बनी हुई हैं, उसे लोग स्वयं ही जांचते हैं और शासन का हिसाब लगाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विकास के कार्य के साथ तो उसका सम्बंध है ही, परंतु इसके अलावा शासन की समग्र प्रक्रिया में लोग सहभागी होकर विकास को अपना बनाते हैं। इस तरह देखें, तो सामाजिक अंकेक्षण शासन को सामाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। मूलभूत रूप से यह प्रक्रिया एक राजनीतिक प्रक्रिया हैं, मात्र लेखा प्रक्रिया नहीं है या तटस्थ प्रक्रिया नहीं है। समाज और शासन में जो दूरी हैं, उसे दूर करने की प्रक्रिया का प्रारंभ सामाजिक अंकेक्षण से होता है। इसीलिए वह उत्तरदायित्व स्थापित करने का एक उल्लेखनीय मार्ग है। 'जो कम से कम शासन करे, वह अच्छे से अच्छा शासन' नामक सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण अधिकतम लोक सहभागिता स्थापित कर सन्निष्ठ प्रयास करता है। ऐसे सामाजिक अंकेक्षण के लिए लोगो द्वारा मांग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए गए सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान को तमाम स्तर पर तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन व शासन की प्रक्रिया में लगाने की जरूरत है।

सामाजिक अंकेक्षणः उद्देश्य, दृष्टिकोण, पद्धतियां और समस्याएं

उन्नति के **श्री बिनोय आचार्य** और **श्री अरुण कुमार** ने इस लेख में यह समझाया है कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है और वह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्यों आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण की जो पद्धतियां हैं तथा उनमें बाधक समस्याओं का हल जिस तरह लाया जा सकता है उसे विभावनात्मक और व्यावहारिक स्वरूप में लेख में समझाया गया है। यह लेख **इरमा** द्वारा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से तैयार किए गए 'द स्टेट ऑफ पंचायत्सः २००७-०८, एन इंडिपेंडेंट एसेसमेंट', वॉ.-१ का हिस्सा है।

प्रस्तावना

हाल के वर्षों में उत्तरदायित्व के एजेंडा का चलन बढ़ा है। अनेक विकसित लोकतंत्रों में विकेन्द्रीकरण के प्रति रुझान बढ़ा है और नए मानदंडों व प्रणालियों के लिए शोध भी बढ़ी है। इसका अर्थ नागरिकों और राज्य की संस्थाओं के बीच उत्तरदायित्व को मजबूत करना है। लंबवत उत्तरदायित्व के कदम के रूप में ऑडिट (अंकेक्षण) के परम्परागत स्वरूपों की सीमाएं हैं और लोगों को उसमें कम भरोसा है, इसीलिए भारत में विकेन्द्रित शासन में सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) द्वारा सेवाओं के उपभोक्ताओं व नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण मात्र निचले स्तर के उत्तरदायित्व को ही मजबूत करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वे गरीबों और पिछड़े वर्गों की आवाज भी बुलंद करते हैं। यहां देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में सामाजिक अंकेक्षण की जो वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में विश्लेषण किया गया है।

यहां प्रस्तुत अवलोकन आम नागरिकों, नागरिक समाज के संगठनों, पंचायतों के प्रतिनिधियों, विद्वत्जनों और सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर लेखकों ने जो अनौपचारिक बातचीत की है, उस पर आधारित हैं। अनेक प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य और रिपोर्टों का संदर्भ भी लिया गया है। जो अवलोकन यहां प्रस्तुत किए गए हैं, वे ऐसे विभिन्न रुझानों को प्रकाश में लाते हैं और उनका सामान्यीकरण करते हैं, जो सार्वजनिक जिम्मेदारी को संस्थागत बनाने की स्थिति पैदा करते हैं, या तो उसके आगे अवरोध खड़ा करते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण किसलिए?

पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वायत्त संस्थाओं में वृद्धि हुई है। इसके कारण उनके बीच सामाजिक व आर्थिक विश्वास का बंटवारा हुआ है। अंकेक्षण इन संस्थाओं के बीच विश्वास व नियंत्रण का माहौल बनाता है और उसे व्यक्त करता है। आरंभ में अंकेक्षण का उपयोग विविध प्रकार के सौदों की जांच के लिए होता था, लेकिन उसका प्रमाण बढ़ता गया और व्यापकता बढ़ती गई, जिससे पद्धति या व्यवस्था की शक्ति के मापन पर उसका ध्यान केन्द्रित हुआ। उसकी जड़ धमकी (डेटरेंस) के मूल में थी, जिसमें जांच का अर्थ अंतर और गलतियां खोजना था। अधिकाधिक प्रमाण में अंकेक्षण ने वित्तीय क्षेत्र को बदल डाला और अब संगठन का कामकाज सुधारने व शासन में परिवर्तन के साधन के रूप में उसका उपयोग हो रहा है।

शासन की संस्थाओं में नियम पालन, गुणवत्ता संचालन व कार्यक्षमता पर ध्यान केन्द्रित करने वाले सुधारों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक संचालन के नूतन ढांचे के तहत सेवाओं की आपूर्ति के मामले में राज्य की भूमिका घट रही है। इसके परिणामस्वरूप शासन व सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं अलग हो रही हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में शासन की संस्था नियमन करती है और सेवा की आपूर्ति करने वाली संस्था को ऑडिट, मूल्यांकन व निरीक्षण द्वारा जिम्मेदार बनाया जाता है, जब पंचायतों जैसी शासन की संस्थाएं भी सेवाओं की आपूर्ति कर रही हैं, तब वैधानिक ऑडिट का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार अफसरशाही की जगह ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के संचालकीय साधन आए हैं। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को राजनीतिक रूप से तटस्थ माना गया है,

जिससे लोगों में उसका स्वीकार हुआ है।

इसीलिए हाल में ऑडिट का उपयोग इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए होता है:

(१) शासन की संस्थाओं सहित विविध क्षेत्रों में नियम पालन।

(२) सम्बंधों पर देखरेख और मूल्यांकन।

(३) कामकाज व उपभोक्ता के संतोष का क्रमांकन।

(४) सुधार शुरू करने के कदम, जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं में सुधार लाना।

ऑडिटिंग में निदान की मांग बढ़ रही है। 'किसलिए' पहचानने की चिंता है। हालांकि ऑडिट को उत्तरदायित्व की श्रृंखला में अंतिम कड़ी कह कर उसकी आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों की दलील है कि कुछ उच्च दृश्यता रखने वाले और सीधा उत्तरदायित्व रखने वाले विषयों को उजागर करने के लिए नागरिकों के बीच अधिक संवाद का निर्माण करने की आवश्यकता है।

समाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक संवाद और जांच शुरू करता है। इससे उद्देश्यों की प्रासंगिकता और उसकी प्रक्रियाओं की जांच में मदद मिलती है। खासकर स्थापित संदर्भ में, सामाजिक अंकेक्षण खर्च की उपयोगिता व लाभ तय करने में मदद करता है और इसमें यह भी निश्चित होता है कि उचित ढंग से लक्ष्य तय हुए हैं या नहीं। 'किसलिए' तय करने में और स्थानीय हल तय करने में उसकी शक्ति पर कम जोर दिया जाता है। वह सार्वजनिक संवाद बनाने, नागरिकों की सहभागिता बनाने, छोटे निवारण खोज निकालने या स्थानीय स्तर पर जांच व संतुलन के कदम के रूप में काम कर सकता है। उसकी सूझबूझ ने नीतिगत स्तर पर दिशानिर्देश सुधारने या बनाने में बड़े परिवर्तन लाने में बड़ा योगदान किया है।

सामाजिक अंकेक्षण इसीलिए है कि सार्वजनिक कार्यक्रम अधिक प्रभावी ढंग से चलें। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व के कदम के रूप में तथा सेवा व शासन में सुधार के कदम के रूप में एक साथ काम करता है और वह घातक हल की पद्धति नहीं बन जाता, अथवा तो निरीक्षण के युग में सतर्कता की स्थापना नहीं करता। सामाजिक अंकेक्षण का प्रत्यक्ष प्रभाव तो होता ही है, परंतु वह सामाजिक नेटवर्क का निर्माण कर तथा उसे मजबूत कर स्थानीय स्तर पर सामूहिक राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, और चयनों व प्राथमिकताओं को तय करने में योगदान दे सकता है। हालांकि व्यवहार में विभावनात्मक स्पष्टता लाने की जरूरत है, खासकर ऑडिट में जो सामाजिक घटक है, उसके बारे में तो उसकी खास जरूरत है। यदि ऐसा न हो, तो वह व्यर्थ की कवायद बन जाएगा और लोकतांत्रिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में वास्तव में कोई योगदान नहीं दे सकेगा।

सामाजिक अंकेक्षण: नीतिगत बातें और कानूनी प्रावधान

ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों की सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की जरूरत को स्वीकार कर असम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, सिक्किम व दमण-दीव में सामाजिक अंकेक्षण के बारे में कानून बनाया गया है। इन राज्यों ने सामाजिक अंकेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक अंकेक्षण के अलावा असम, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और पंजाब में ग्राम सभा द्वारा प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल में सामाजिक अंकेक्षण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु ग्राम सभा द्वारा प्रगति की समीक्षा करने के प्रावधान किए गए हैं। देश में १२ राज्यों ने कार्य की प्रगति की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा या सामाजिक अंकेक्षण द्वारा करने सम्बंधी कानूनी प्रावधान किए हैं। मात्र छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम जैसे छह राज्यों में कानून में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और भूमिहीन मजदूर ग्राम सभा में हाजिरी दें।

ऐसा कहा जा सकता है कि ग्राम सभा को नींव का पत्थर माना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में सामाजिक अंकेक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) में सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। कानून के तहत जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उनमें अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सतर्कता व देखरेख समिति है। इसमें जिस गांव या क्षेत्र में काम शुरू किया जाता है, वहीं के लोग होते हैं। ग्राम पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण करना है। इतना ही नहीं सामाजिक अंकेक्षण के बारे में उसे ग्राम सभा को जागृत करना है और उसकी क्षमता बढ़ानी है।

पंचायती राज सम्बंधी कानूनों में तमाम राज्यों में ग्राम सभा, वार्ड सभा या कस्बा सभा का प्रावधान किया गया है। यह अपेक्षित है कि वे विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों पर देखरखे रखें तथा उसका आयोजन करे।

सामाजिक अंकेक्षण पर शक्तिशाली लोगों और नियंत्रण के राजनीति का प्रभाव होता है। सामुदायिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रशासन विकसित करना जरूरी है, जिसमें लोग निर्भयतापूर्वक हिस्सा लें, दस्तावेज जांचें और प्रश्न पूछें। सामाजिक अंकेक्षण मूलभूत रूप से ही अधिक समावेशी है, अनेक संस्थाओं को वह शामिल करता है और तमाम वर्गों के लोगों को वह शामिल करता है।

उदाहरण के तौर पर राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए दिशानिर्देशों में सामाजिक ऑडिट फोरम के गठन का प्रावधान किया गया है। यह फोरम सामाजिक अंकेक्षण करता है। इसमें ग्राम सभा एक अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, सरपंच या अन्य कोई अधिकारी सामाजिक ऑडिट की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस कारण ग्राम सभा के सदस्य सामाजिक अंकेक्षण की समग्र प्रक्रिया पर अंकुश रखते हैं।

कई लोग ऐसा मानते है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उसके कामगारों को मंडल सामाजिक अंकेक्षण करना जरूरी है। तमाम स्तर पर इसीलिए सक्षमता स्थापित करने की जरूरत महसूस की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण में धरातल पर काफी मसलों का समावेश होता है। वह काम का औचित्य जाँच सकता है, पर्यावरण पर विपरीत प्रभावों को जांच सकता है, नए संसाधनों का उपयोग होना जांच सकता है। यह भी जाँच सकता है कि धरोहरों से आय सर्जन कैसे हो। बैंक और डाक कार्यालय की मार्फत भुगतान हों, इसके लिए वह प्रेरणा दे सकता है और इस प्रकार भ्रष्टाचार को मिटा सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो मसले जांचे जा सकते हैं, वे निम्नानुसार हैं:

१. पंजीकरण।
२. जॉब कार्ड।
३. जॉब कार्ड देने में विलम्ब।
४. कानून के विविध प्रावधानों के बारे में समझ।
५. काम के लिए आवेदन करने की जरूरत सम्बंधी जागृति।
६. काम मंजूर करने का ग्राम सभा का अधिकार और कार्यवाही।
७. काम के स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं।
८. योग्य वेतन का समय पर भुगतान।
९. काम के चयन में सुधार।
१०. संसाधन व सामग्री में सुधार।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सफल बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण सम्बंधी आशंका दूर करनी जरूरी है। वह उद्देश्य व प्रक्रिया की प्रासंगिकता जाँचने में मदद करता है। वह लक्ष्यांक समूह के लिए होने वाले खर्च के लाभ और उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करता है। सामाजिक अंकेक्षण से नीति और दिशानिर्देशों में सुधार भी हो सकते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण इस प्रकार ऑडिट के उद्देश्य को चरितार्थ करता है और साथ ही साथ लोगों के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित कर शासन में सुधार लाता है।

जाता है जिसके आसपास रह कर देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित शासन का आयोजन किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह संस्थागत व्यवस्था है और उसका इरादा कानून बना कर जो राज्य सौंपे वह काम करना है। इसीलिए ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को व्यवहार में लाने का मंच है। वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक होती है, तब वह विकास का आयोजन करे, लाभार्थियों की पहचान करे और अमल के लिए मार्ग सुलभ करे और चर्चा करने का अवसर प्रदान करे, जिसमें नागरिकों द्वारा सवाल पूछे जाएं और स्पष्टताएं मांगी जाएं। २००६-०७ की पंचायती राज की स्थिति के अनुसार देश के तमाम राज्यों में ग्राम सभा लाभार्थियों का चयन करे तथा ग्राम पंचायत में सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ग्राम सभा के अलावा वार्ड सभा का प्रावधान भी किया गया है। गोवा में वार्ड विकास समिति के गठन के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो ग्राम पंचायत में सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाएगी। इसके अलावा राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण मंच, पश्चिम बंगाल में ग्राम उन्नयन समिति और लाभार्थी समिति, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश व मणिपुर में सतर्कता समिति और गुजरात में सामाजिक न्याय समितियां आयोजन व देखरेख में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। ये समितियां ग्राम सभा के सदस्यों व ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करती है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में सामाजिक न्याय समितियां स्थानीय स्तर पर सामाजिक असमानता की समस्या का सामना करने के लिए है। वे इस कार्य के लिए सरकार के कार्यक्रमों का लाभ सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं।

देश में सामाजिक अंकेक्षण लोकप्रिय बना है, और उसकी जड़ें गहरी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में वेतन का भुगतान, काम का आयोजन व काम के स्थल की सुविधाएं आदि तय करने और उसका अमल करने का काम स्थानीय स्तर पर हो, ऐसा प्रावधान समग्र राष्ट्र स्तर पर किया गया है और उसमें ग्राम पंचायत मुख्य प्राधिकरण है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण व सूचना अधिकार अधिनियम स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा द्वारा पारदर्शिता व उत्तरदायित्व खड़ा करना अपेक्षित है। यह स्वाभाविक है कि वह सार्वजनिक सतर्कता के संसाधनों के रूप में काम करे। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता, सहभागिता, परामर्श व सहमति, उत्तरदायित्व और शिकायतों का निवारण आदि को बढ़ावा देने के लिए है।

इस संदर्भ में (१) प्रसिद्धि और तैयारी, (२) संगठनात्मक और कार्यविधिगत पहलू और (३) आदेशात्मक कार्यसूची को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सामाजिक अंकेक्षण के दृष्टिकोण

सामाजिक अंकेक्षण के वैविध्यपूर्ण अनुभवों ने प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बहुवादी संवाद को जन्म दिया है। एक ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है कि ऑडिट का अर्थ सहूलियत पैदा करने के लिए है या फिर वह अनिवार्यतः विपरीत मसला है। अनेक संस्थाओं की हाजिरी होती है, जिससे सामाजिक अंकेक्षण के विविध स्वरूप सृजित होते हैं। कुछ सहूलियत पैदा करते हैं, तो कुछ मुसीबतें खड़ी करते हैं। हालांकि सामाजिक अंकेक्षण के व्यवहारों का विश्लेषण तीन अलग-अलग अनुभव देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल अलग होता है या फिर वे सभी परस्पर विरोधी हैं।

स्वयं घोषणा

यह प्रथम दृष्टिकोण है जिसमें स्वयं आगे बढ़ कर घोषणा कर स्वनियमन की जरूरत पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके लिए सरकार विभिन्न स्तर पर काम करती है। वह नीतिगत बयानों में उसका समावेश करती है, तो दूसरी तरफ ग्राम स्तर के अधिकारियों को तैनात करती है। ग्राम पंचायत स्वतः घोषणा के लिए निम्नानुसार विविध रास्ते अपना सकती हैं: जरूरी सूचना की आपूर्ति के लिए कार्य स्थल पर समय-समय पर बुलेटिन जारी करना, खर्च का विवरण पढ़ना, ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची पढ़ना, ग्राम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक अंकेक्षण के कदम

१. जिला प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श कर सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए सर्वसम्मति स्थापित करना।

२. सामाजिक अंकेक्षण फोरम, ग्राम सतर्कता समिति और देखरेख समिति, पंचायतों के कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों आदि को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के बारे में अभिमुखता प्रशिक्षण देना।

३. सामाजिक अंकेक्षण के लिए समयसारिणी तय करना। सामान्यतः इसके लिए छह माह की समयावधि उचित हो जाती है। यदि इससे अधिक समयावधि रखी जाए, तो कदाचित हो सकता है लोग सूचना व अनुभव भूल जाएं।

४. ग्राम सतर्कता समिति, देखरेख समिति और पंचायती राज संस्थाएं, वन विभाग आदि जैसी क्रियान्वयन सस्थाओं के साथ रह कर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरू करना तथा उसकी सहभागिता सुनिश्चित करनाः

- ४.१ हाजिरी पत्रक और अन्य पत्रक एकत्र करना।
- ४.२ हाजिरी पत्रक का कोई प्रपत्र (कहें कि १० प्रतिशत) चयन करना।
- ४.३ पूर्वनिर्धारित ढ़ाँचे में सूचना का विश्लेषण करना।
- ४.४ घरों व स्थलों का दौरा कर सूचना की जांच करना।
- ४.५ रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना और कस्बा बैठक या वार्ड बैठक में उसकी चर्चा करना।
- ४.६ ग्राम सभा बुलाने के लिए नियमानुसार नोटिस देना।
- ४.७ ग्राम सभा में तमाम क्रियान्वयन संस्थाएं उपस्थित रहें।
- ४.८ ग्राम सभा की कार्यवाही को दर्ज करना।
- ४.९ संभव हो उतनी समस्याओं का हल ग्राम सभा में भी आए।
- ४.१० योग्य अधिकारी को ग्राम सभा की रिपोर्ट भेजना, जिससे आगे कार्यवाही हो सके।

पंचायत कार्यालय में सूचना प्रदर्शित करना। बुलेटिन, बोर्ड, मुद्रित नोट, पोस्टर और अखबारों में कागज रखवा कर ग्राम पंचायत के कामकाज का विवरण घोषित करने में केरल में खासी प्रगति हुई है। चयनित लाभार्थियों की सूची, आय और व्यय तथा प्रस्तावों का विवरण लोगों के बीच सार्वजनिक होना चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें स्वयं घोषणा करे, जिसमें नागरिक समाज के संगठनों की भूमिका दर्ज करना अनिवार्य है।

हाल में, लगभग तमाम राज्यों में यही किया जा रहा है। जो सूचना उपलब्ध है, उसमें से नागरिकों को ग्राम पंचायत के कामकाज में दिलचस्पी पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभा में नागरिकों की हाजिरी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इसीलिए लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार को टालने, गरीबी-विरोधी व विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और सामाजिक असमानता दूर करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपत्ति की जाए या स्पष्टता मांगी जाए, और उन्हें यदि ध्यान में न लिया जाए, तो फिर नागरिकों की सहभागिता कम होती जाती है।

सहयोगात्मक कार्य

दूसरा एक दृष्टिकोण सहयोग की पद्धति पर आधारित है। इसमें चर्चा, सर्वसम्मति का निर्माण और उत्तरदायित्व को नागरिक कार्य द्वारा बढ़ावा देने के मूल्य शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक संस्थाएं अधिकांशतः स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श कर करती हैं, उसके साथ-साथ समुदाय को जोड़ने और जांच करने का काम भी चलता है, और अंततः सामाजिक अंकेक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दृष्टिकोण क्षमता निर्माण द्वारा संवाद का अवसर पैदा करने और तत्कालीन नीतियों व स्थानीय पर्यावरण को इसके लिए सक्षम बनाने के प्रावधानों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह मॉडल सूचना की पहुंच और सामूहिक आकलन का रास्ता प्रशस्त करने पर ध्यान देता है। हालांकि यह दृष्टिकोण हाल में तो आरंभिक चरण में है। इसका कारण यह है कि सरकार की विविध संस्थाओं के बीच अविश्वास का माहौल व्याप्त है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक समाज की संस्थाओं के बीच अविश्वास का भी समावेश हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का

जहां अमल हो रहा है, उन राज्यों में यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

कई राज्यों में नागरिक समाज के संगठन कम या सीमित मात्रा में भी रिपोर्ट कार्ड की पद्धति का उपयोग उपभोक्ताओं की सेवा संतुष्टि के मापन के लिए कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी आदि के अंतर्गत सेवाओं का समावेश होता है और यह कार्य ग्राम पंचायतों के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने वाले गैर-सरकारी संगठन मानते हैं कि एक बार बुनियादी सेवाओं पर देखरेख का काम हो जाए, तो फिर धीरे-धीरे समुदाय के सदस्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाने का आत्मविश्वास पैदा होता है।

इसमें देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर सातत्यपूर्वक नागरिक कार्य हों, तो ग्राम पंचायत को पारदर्शी व उत्तरदायी बनने को बाध्य होना पड़ता है। हालांकि देश भर में अनुभव अलग-अलग प्रकार का रहा है। केरल में सार्वजनिक रूप से सूचना की प्रस्तुति को लेकर खासी प्रगति हुई है। शासन के उत्तरदायित्व के साधन और नागरिक समाज के संगठनों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में इसका अच्छा-खासा उपयोग हुआ है।

गोवा में नागरिक समाज के संगठन और स्थानीय स्तर की समुदाय-आधारित संस्थाओं को विविध प्रकार की सूचना प्राप्ति के लिए सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करने को बाध्य होना पड़ा। बुनियादी सेवाओं पर देखरेख रखने के साधन के रूप में रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक उत्तरदायित्व खड़ा करने में बहुत ऊंची संभावना रखता है।

भ्रष्टाचार को चुनौती

तीसरा दृष्टिकोण संघर्ष का दृष्टिकोण है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण द्वारा राज्य की संस्था के भीतरी अधिकार को चुनौती दी जाती है। इस दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय तत्व यह है कि राज्य की संस्थाओं का अभाव होता है, उनकी गैरहाजिरी होती है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों को उत्तरदायी बनाने के लिए जो कैफियत, दस्तावेज, नोट और जांच के अनुभव हैं, उनका उपयोग किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में सार्वजनिक दस्तावेज प्राप्ति के लिए सूचना-अधिकार का उपयोग करने का सहारा लिया जाता है। इस मामले में प्राथमिक तंत्र जन सुनवाई का है। नागरिक कार्य के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में उसका उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक से लोगों को सत्ता पुनः प्राप्त होती है, क्योंकि लोगों के पास सूचना होती है। विद्वान कहते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण के परिणामस्वरूप एक प्रकार की अस्थिरता पैदा होती है और राज्य के नियमनकारी रणनीतिक अंकुश के लिए विपरीत राजनीतिक परिणाम पैदा होते हैं। स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप स्थानीय व राज्य स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों तरफ से जोरदार प्रतिकार होता है।

सामाजिक अंकेक्षण में कई आवाजें

सात राज्यों की आठ तहसीलों की ४१ ग्राम पंचायतों में हुए सामाजिक अंकेक्षण के अनुभवों का सर्वे और देश भर में नागरिक समाज के संगठनों के साथ हुआ विचार-विमर्श दर्शाता है कि इसमें अलग-अलग मसलों पर ध्यान दिया जाता है, इसमें कार्यसूची में भिन्नता नजर आती है, कार्यवाहियां अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग संस्थाओं की सहभागिता होती है और इसका मार्ग सुलभ बनाने की क्षमता अलग-अलग होती है।

राज्यों की प्रतिक्रियाएं

जिला व तहसील स्तर पर जो अधिकांश प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में हैं, सिवाए राजस्थान व मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कम-ज्यादा प्रमाण में सामाजिक अंकेक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं और इसमें स्थानीय नागरिक कार्य महत्व का रहा है। राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं और उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए दिशानिर्देश जारी

किए गए हैं, परंतु मात्र राजस्थान में ही मैन्युअल में ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, कृषि विस्तार कार्यक्रमों सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और पेयजल की सेवाओं के सामाजिक अंकेक्षणों का समावेश किया गया है। उपरोक्त कार्यों की ऑडिटिंग के लिए राजस्थान में सोशल ऑडिट फोरम का गठन करने का प्रावधान किया गया है। केरल में पलक्कड़ और वेयानाड जिलों में सामाजिक अंकेक्षण के दिशानिर्देशों का प्रयोग हुआ है और क्षेत्रीय परीक्षण हुआ है। इडुकी और कोजीकोड में अल्प समय में ही यह प्रयोग विस्तारित होने वाला है। राजस्थान, गुजरात, केरल व मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें भी नागरिक संस्थाओं की सहभागिता का संकेत है।

कर्नाटक सरकार भी सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए काम कर रही है। उसने सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय ऑडिट बाहर से कराना और लेखा क्षेत्र में सुधार करना शुरू किया है। ग्राम पंचायत के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान किये जाएं तथा उसकी राजनीतिक स्वायत्तता स्थापित की जाए, तो ऐसी आशा है कि यह व्यवस्था जरूरी देखरेख तंत्र के रूप में काम करेगी। प्रशासन के संदर्भ में समानांतर उत्तरदायित्व को मजबूत करने का यह एक अच्छा सुधारात्मक कदम है, परंतु नागरिकों की आवाज की प्रस्तुति के लिए इसमें शायद ही कोई प्रावधान है।

निर्वाचित प्रतिनिधिः मुख्य संचालक

सर्वे में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायतों के कामकाज पर प्रकाश डाला। कार्यसूची में यह एक महत्वपूर्ण मसला था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक अंकेक्षण की कार्यसूची ग्राम सभा में पढ़ी गई थी। सात राज्यों में जिन ४१ सरपंचों से मुलाकात की गई, उनमें से मात्र ३ सरपंचों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई गई है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समुदाय का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। सामाजिक अंकेक्षणों के अधिकांश मामलों में सम्बद्ध विभाग के सरकारी अधिकारियों की बड़े पैमाने पर हाजिरी देखने को मिलती है। तमाम मामलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका लोगों को एकत्र करने तक सीमित है ऐसा वे स्वयं ही मानते हैं। वे सामाजिक अंकेक्षण के प्रसंग की घोषणा करते हैं और लोगों को एकत्र करते हैं तथा जांच के लिए सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि सामाजिक अंकेक्षण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सरपंच ग्राम सभा में भावी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बातचीत कर सकते हैं तथा समुदाय के साथ रह कर सर्वसम्मति से आयोजन कर सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण के खिलाफ व्यापक विरोध भी पाया गया है। जरूरी सार्वजनिक सूचना की घोषणा न की जाती हो, तो समुदायों और उनकी ओर से काम करने वाली संस्थाओं को सूचना अधिकार का उपयोग कर सूचना प्राप्ति को बाध्य होना पड़ता है। हालांकि इसके कारण लोगों में अविश्वास पैदा होता है।

इसके विपरीत, यह भी पाया गया कि निर्वाचित प्रतिनिधि सामाजिक अंकेक्षण के वक्त अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोपों का प्रतिकार करने में उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण मात्र समुदाय के लिए ही आवाज नहीं उठाता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भी आवाज उठाता है। खासकर ऐसा तब होता है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक अवसर की स्पर्धा हो या स्थानीय स्तर पर सरकार या उसकी संस्थाओं व राजनीतिक दलों के बीच स्पर्धा हो।

नागरिक संस्थाएंः सूचना और समुदाय के बीच की कड़ी

सूचना की प्राप्ति सुलभ बने, सामाजिक अंकेक्षण के समय नागरिक एकत्र हों तथा दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच हो, इसके लिए नागरिक संस्थाएं काम करती रही हैं। हालांकि सार्वजनिक दस्तेवाज प्राप्त करने में उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम है जहाँ सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तत्काल कदम उठाए गए हों। विविध नागरिक संस्थाओं के छह लोगों ने कहा कि उनके हस्तक्षेप से दलित समुदाय को सूचना मिली और वे उसकी जांच कर सके। जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उनसे लगता है कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक संस्थाओं दोनों के बीच सामाजिक अंकेक्षण के लिए

मजबूत सहयोग बनता है, परंतु कई बार सरकारी अधिकारी इस प्रक्रिया का ज़ोरदार प्रतिकार करते हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक समाज के संगठन की हाजिरी से महत्वपूर्ण बात यह होती है कि स्थानीय स्तर पर सब मथा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि कुछ अनदेखा रहता है, वह दिखता है। हालांकि नागरिक समाज के संगठन, जो संघर्ष का दृष्टिकोण अपना कर काम किया करते हैं, उनके सामाजिक अंकेक्षणों को मान्यता नहीं मिलती। उन्हें कई बार उत्तरदायित्व और न्यायतंत्र की समानांतर संस्थाओं के रूप में काम करने पर विवश होना पड़ता है। सार्वजनिक अदालतें और जनसुनवाइयाँ इस प्रकार की व्यवस्था बनती हैं। समुदाय को एकत्र करने व योग्य मांगें प्रस्तुत करने के लिए वे काम करती हैं, और माँगों के लिए सामाजिक अंकेक्षणों के निष्कर्षों का उपयोग करती हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर सरकारी प्रशासन तथा निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे नागरिक कार्य की वैधता के खिलाफ ही आपत्ति उठाते हैं।

समुदाय की आवाज़ें: लोकतंत्र का सरल परीक्षण

नागरिकों व सामुदायिक नेताओं में सामाजिक अंकेक्षण लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वे इसमें भागीदार नहीं होते। नागरिक नेताओं की भागीदारी स्थानीय स्तर के नागरिक समाज के संगठनों द्वारा संभव बनाई जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपत्तियां दर्ज कराई गई हों। समुदाय के नेताओं का हस्तक्षेप बहुत सीमित होता है, परंतु भविष्य में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और सुधारने के लिए पंचायतें प्रतिक्रिया देती हैं। पंचायत के कामकाज में तत्काल सुधार होने का एक भी उदाहरण किसी सामुदायिक नेता ने नहीं दिया है। यदि सामाजिक अंकेक्षण के बाद कुछ कदम नहीं उठाए गए, तो समुदाय उसमें दिलचस्पी खो देता है। जो छिटपुट मामलों में सार्वजनिक रूप से आपत्तियां उठाई गईं, वहां भी लोग समझौतारूपी समाधान करते नज़र आते हैं। इसके कारण समुदाय में असंतोष बढ़ता है।

हाल में ग्राम सभा में नागरिकों की उपस्थिति अत्यंत कम होती है। देश भर में ऐसा देखने को मिलता है कि कोरम का प्रावधान होने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जाता है। एकमात्र अपवाद पश्चिम बंगाल है, जहां ग्राम सभा में लोग सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं के भी इसमें काम करने के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में सामाजिक अंकेक्षण के मौके पर बाहर के लोगों की हाजिरी बड़ी संख्या में होती है और स्थानीय स्तर पर विवाद हल करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में कोरम लोकतंत्र का सरल परीक्षण है। लोग एकत्र हों व दिलचस्पी लेने लगें, इसके लिए तत्काल प्रयास होने चाहिए। यदि ऐसा होगा, तभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र खड़ा होगा।

हालांकि नागरिकों द्वारा होने वाले ऑडिट में बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं और इसमें से कुछ सिद्ध हुई हैं। उदाहरण के तौर पर भ्रष्टाचार उजागर करने और सांठगांठों का खुलासा करने में वह बहुत अच्छी तरह उपयोगी होता है। कई बार ऐसी सांठगांठों और गठबंधनों में स्थानीय भद्र वर्ग तथा प्रशासन, अफसर और स्थानीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यदि ऐसे सत्ता के ढांचे को उजागर किया जाए, तो कई बार खासकर सामाजिक व आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्ग जैसे समुदायों के लिए जोखिम खड़ा हो जाता है। जब गरीब राज्य की देनदारी पर आधारित हों, तब ऐसा जरूर होता है। इसीलिए जरूरी संस्थागत समर्थन विकसित करने की महती आवश्यकता है, जिससे ऐसी प्रतिक्रिया का सामना हो सके। हाल में ऐसा कोई समर्थन देने का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। खासकर पिछड़े लोगों के लिए तो नहीं ही।

प्राप्त प्रतिक्रियाओं से लगता है कि विविध समूहों का अनुभव अलग-अलग रहा है। उदाहरण के तौर पर केरल में नागरिक संस्था ने सामाजिक अंकेक्षण किए, परंतु सरकारी विभागों, निर्वाचित प्रतिनिधियों या सम्बद्ध क्षेत्र के नागरिक नेताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है, तब सूचना के अधिकार की उपयोगिता वहां सीमित नहीं रह जाती। हालांकि नागरिक नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसमें स्थानीय स्तर की राजनीति पर जोर दिया जाता है, कानूनी प्रावधानों के प्रभाव पर रोशनी डाली गई है, सरकारी आदेशों व क्षमता निर्माण की नियमावलियों की ओर ध्यान गया है और नागरिक संस्था की सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सामने आए मुद्दे

पद्धति की अपर्याप्तता

हाल में सामाजिक अंकेक्षण कामकाज का ऑडिट, उपभोक्ता के संतोष का सर्वेक्षण और सहभागी देखरेख व मूल्यांकन के साधनों के रूप में किया जाता है और वह सार्वजनिक सेवाओं की कार्यक्षमता के पैमाने के ढांचे में किया जाता है। समानांतर उत्तरदायित्व के स्वरूपों में अदालती केस से लेकर लोगों की देखरेख व 'भौंकते कुत्ते' तक का समावेश होता है। देखरेख के कार्य समुदाय को उसकी आवाज़ अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। इससे समुदाय सेवाएं कितने प्रमाण में मिलती हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है तथा सेवा देने वाली संस्था का कामकाज कैसा है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और वह काम राज्य की सत्ता को चुनौती दिए बिना होता है।

इसके उदाहरणों में रिपोर्ट कार्ड, उपभोक्ताओं के संतोष का सर्वेक्षण तथा सेवा आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के कामकाज का ऑडिट शामिल है। अतः नागरिकों की संस्थाएं स्वयं ही आधी-अधूरी ऑडिटर बनें, इससे बेहतर सीधे नागरिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इस बारे में अधिक स्पष्टता होना भी जरूरी है। सामाजिक अंकेक्षण अन्य स्वरूपों के मुकाबले अलग है, क्योंकि इसमें निम्न बातों का समावेश होता है:

(१) अनेक संस्थाओं की सहभागिता: सरकारी विभाग, निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय।

(२) कोष का उपयोग और एकत्रीकरण।

(३) सामाजिक न्याय व समता के सिद्धांतों के आधार पर समुदाय के लाभ के संदर्भ में कोष के उपयोग की प्रासंगिकता की आवश्यकता।

परिणामतः सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट कार्ड या प्रगति की समीक्षा से अलग है। सामाजिक अंकेक्षण अधिक लम्बी, अधिक जटिल और सघन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें समुदाय को तैयार करने का मसला शामिल है। समुदाय लाभार्थियों का चयन योग्य ढंग से हुआ है या नहीं, यह देखता है, किसे, क्यों छोड़ा गया है, यह देखता है, समुदाय को कितना लाभ मिला, यह जांचता है, इसमें कोई खामियां रह गई हों, तो वह जांचता है, जो सार्वजनिक मसले हैं, उसकी सूचना लोगों को समझ आने वाले ढांचे में प्रस्तुत हुई है या नहीं, यह देखता है, ग्राम सभा के लिए सरलता पैदा करता है, जिससे वह सूचना जांचें, प्रश्न पूछे और खुलासे मांगे।

किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या सेवा में व्याप्त खामियां खोज निकालने के लिए कई बार नागरिक समाज के संगठन परिवार स्तर पर शोध करते हैं और जन सुनवाई में उसे पेश करते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सरकारी दस्तावेज जांचे जाएं। शासन की संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिए समुदाय का बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण होता तो है, परंतु उसे सामाजिक अंकेक्षण नहीं कहा जा सकता। ये स्वरूप खास नागरिक समाज के लिए हैं, दूसरी जगह उसकी सीमित नकल ही की जा सकती है और उसे सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिलती।

सोशल ऑडिट फोरम द्वारा सामाजिक ऑडिट किए जाने के वक्त सरपंच अध्यक्ष पद पर होता है। उस समय उनकी तटस्थता का सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि सरपंच के किए कार्यों की ही उसमें जांच होती है। सोशल ऑडिट फोरम महिलाओं व पिछड़े वर्गों की सहभागिता को लेकर सवाल खड़े करता है, और उसके समय को लेकर भी सवाल उठाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाल में सामाजिक अंकेक्षण के जो स्वरूप हैं, उसमें वह पंचायत द्वारा होता है या तो नागरिक समाज द्वारा होता है, परंतु वह स्वतंत्र व स्वायत्त नहीं है और इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण नहीं होता।

हालांकि राज्य की संस्थाओं में सोशल ऑडिट फोरम सबसे लोकप्रिय संस्था बन रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें प्रभावी सोशल ऑडिट फोरम के लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि सामाजिक अंकेक्षण को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी तैयारी, अधिक समावेशी कार्यवाहियों और लवादी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

समावेशी सहभागिता

सामाजिक अंकेक्षण का स्वरूप ही ऐसा है कि वह समावेशी है। उसमें अनेक संस्थाएं शामिल होती हैं। वह बहुवादी है और कई बार परस्पर विरोधी हितों वाले भी उसमें एकत्र होते हैं। यह जान कर कई बार संचालक संस्था दूसरी संस्थाओं व लोगों की भागीदारी जांचती है और कई बार परस्पर विरोधी हित रखने वालों के बीच सर्वसम्मति पैदा करता है।

इस प्रकार की परिस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अतः सामाजिक अंकेक्षण को उसके वास्तविक स्वरूप में करने के लिए समुदाय को उसकी मांग करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नागरिक समाज की कोई संस्था या फिर सोशल ऑडिट फोरम सामाजिक अंकेक्षण करे, उसके बजाए यदि कामगार स्वयं ही मिल कर कोई हित या समूह या मंडल का गठन करे, तो समग्र प्रक्रिया में अधिक सहभागिता और जोश आ सकता है।

राजस्थान में झालावाड़ में सामाजिक अंकेक्षण शुरू करने वाले कर्मशीलों को पीटा गया और गांव के बाहर खदेड़ दिया गया। यह उस वास्तविकता का प्रमाण है कि वर्चस्व रखने वाले समूह प्रक्रियाओं, सेवाओं और संस्थाओं पर अभी भी नियंत्रण रखते हैं। ऐसे मामले में पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हो, तो कभी खामियां उजागर नही होगी, इसके लिए यह जरूरी है कि खासकर गरीबों व लाभ वंचित समूहों को इससे सोशल ऑडिट फोरम की नियमावलियां तैयार करने में समय बर्बाद करने की बजाए नागरिकों को शिक्षा देने और उन्हें संगठित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएं। अतः यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है और इसका परिणाम सत्ता के पुनर्आवंटन में हो सकता है।

दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक अंकेक्षण मंच (सोशल ऑडिट फोरम) की अध्यक्षता का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशानिर्देश और राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश बताते हैं कि सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो पंचायत या अन्य किसी क्रियान्वयन संस्था का हिस्सा न हो। अध्यक्ष सामाजिक अंकेक्षण का रास्ता प्रशस्त करता है।

इतना ही नहीं योग्य नियंत्रण व देखरेख रखता है तथा असहमति, असंतोष और प्रतिकार को दबा देने का काम भी करता है। इससे जब ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण करने को कहा गया हो, तब सरकार या उसके अधिकारी को अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहिए बल्कि, किसी और को संभालना चाहिए। इस प्रकार किसी भी सामाजिक अंकेक्षण में उपस्थिति और सहभागिता का मुद्दा केन्द्र में होता है। हाल में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में सरपंचों द्वारा उनकी ग्राम पचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का बहिष्कार किए जाने की अखबारी खबरें प्रकाशित हुई थीं। सरपंचों का आरोप था कि बाहर के लोग आकर तत्काल सामाजिक अंकेक्षण कर जाते हैं और राज्य की राजधानी के सरकारी अधिकारी उनका समर्थन करते हैं। सरपंचों के विरोध का कारण यह भी था कि उन्हें अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने की आशंका थी।

यहां उल्लेखनीय है कि सरपंच बार बार स्वीकार करते हैं कि ग्राम पंचायत के कामकाज में भ्रष्टाचार होता है। सरपंचों के मतानुसार ग्राम पंचायत उनके द्वारा लागू की जाने वाली परियोजनाओं में कोई प्रशासनिक खर्च प्राप्त नहीं करती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है समुदाय की उपस्थिति और सहभागिता। इसके अवसर पैदा करने के लिए कानूनी व नीतिगत कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन समुदाय के पिछड़े लोगों व अल्पसंख्यक समुदाय को इसमें समान अवसर सरलता से नहीं मिलते और उनकी क्षमता भी बहुत मामूली है।

सोशल ऑडिट फोरम के मामले में देखें, तो समुदाय और उसके भीतर के पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों को ऐसे अंकेक्षणों का लाभ पाने में तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सामाजिक विघटन के कारण वंचित समूह अपनी सामूहिक शक्ति एकजुट नहीं कर पाते, वे प्रभावी समूहों पर अवलिम्बत होते हैं और इसके परिणामतः समुदाय के भीतर एक प्रकार से संवादी सामाजिक पूंजी का सृजन नहीं होता, जिससे वे सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सवाल उठा सकें।

नियंत्रण की राजनीति और संस्थाओं की सहभागिता से सामाजिक

अंकेक्षण को कलंक लगता है और समुदाय के भीतर भविष्य में सम्बंध स्थापित करने में प्रभाव घटता है। कुल मिलाकर उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं बनाना जरूरी हैं तथा जांच और संतुलन के कदम उठाने जरूरी हैं। आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नकद लेनदेन नहीं किया जाता है और इससे भ्रष्टाचार कम होता है।

सारांश

विचार को व्यवहार में लागू करने में तकलीफें होती हैं, जिससे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विभावना ही बेकार है। स्पष्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय स्तर पर सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की जोरदार संभावनाएं। वह लोगों को एक करने का अवसर पैदा करता है, विचार-विमर्श के लिए अवसर पैदा करता है और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है।

हालांकि सामाजिक अंकेक्षण ठीक से करने के लिए काम करने की महती आवश्यकता है। कानूनी प्रावधान और नीतिगत दिशानिर्देश सांकेतिक कदम बन कर नहीं रह जाने चाहिए, बल्कि इसमें आगे बढ़ा जाना चाहिए। तमाम स्तर पर और तमाम क्षेत्रों में संबंधित संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करने की बहुत ही जरूरत है, परतु साथ ही साथ सामुदायिक अवसर भी मज़बूत करने की जरूरत है। समुदाय सवाल उठाए और स्पष्टताएं मांगे, वह परिवर्तन है। एक ऐसी नागरिक प्रक्रिया है, जिससे नागरिक अपने जीवन पर अंकुश पाते हैं और उन्हें सेवा देने वालों को वे जिम्मेदार मानते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण इस प्रकार गरीबों को आवाज उठाने का मौका देता है। उत्तरदायित्व के लिए पद्धतिपूर्ण प्रतिभाव स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष नागरिक कार्य मजबूत बनना महत्वपूर्ण हैं। सूचना की स्वतंत्रता संबंधी दुनिया भर के अनुभव दर्शाते है कि पूर्वायोजित कार्य और अनुवर्ती कार्य में नागरिक संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऐसे नागरिक समूह लोगों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। नागरिकों के मंडल, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ताओं के संचालक समूह, दबाव समूह और लॉबिंग करने वाली संस्थाएं कदम उठाएं तथा प्रत्यक्ष नागरिक कार्य हो, इसके लिए उसे ठेठ ऊपर से नीचे तक प्रोत्साहन दिया जाए।

सामाजिक अंकेक्षण के निम्न तीन मसलों में भरपूर संभावनाएं हैं:

१. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।
२. स्थानीय भद्र वर्ग, अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सांठगांठ उजागर करना।
३. सरकार की ओर से प्राप्त लाभों में गरीबों व पिछड़े वर्गों को शामिल करना तथा इस प्रकार सत्ता का पुनर्आवंटन करना और उनकी आवाज उठाना।

इन मुद्दों के खिलाफ प्रतिकार तो होता ही है, परंतु इस प्रतिकार का प्रतिकार करने की जरूरत है। कानूनी संशोधन के रूप में और सरकारी आदेशों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण होना उसकी स्वीकृति स्थापित करने की ओर पहला कदम है। सामाजिक अंकेक्षण का बड़े पैमाने पर सभी जगह शुरू होना जरूरी है। खासकर ऐसे अवसर पैदा करना जरूरी है कि जिसमें गरीबो की आवाज शामिल हो। नागरिक समाज के संगठनों को स्थानीय स्तर पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

इसके अलावा गरीबों की संस्थाओं को उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष नागरिक कार्य का मार्ग प्रशस्त हो। इससे गरीबों में सत्ता का पुनः बंटवारा होगा और पिछड़े वर्गों को भी सत्ता मिलेगी। राजनीतिक कार्य के लिए नागरिक अवसर पैदा कर यह कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा गरीबों को इसके लिए समर्थन देना चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों को सामूहिक बना कर आंशिक रूप से ऐसा समर्थनरूपी प्रशासन स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण का ख्याल ग्राम पंचायत से ऊपर के स्तरों पर भी योग्य सुधारों के साथ लागू किया जा सकता है या नहीं, यह भी विचारणीय है। यह जरूरी है कि तहसील व जिला स्तर पर सरकार की विकासलक्ष्यी संस्थाएं योजनाओं और परियोजनाओं के अमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा इसमें नागरिकों के अनुभवों को स्थान मिले। पश्चिम बंगाल में तहसील व जिला संसद आयोजित करने और केरल में तहसील व जिला स्तर पर ग्राम सभा आयोजित करने का जो प्रयास हुआ है, उससे सबक सीखा जा सकता है।

सहभागी पद्धतियां किस रास्ते पर?

प्रस्तुत लेख **पार्टीसिपेशन एण्ड गवर्नेन्स** नामक सामयिक के जुलाई-२००८ के अंक से लिया गया है। **प्रिया** के वर्तमान अध्यक्ष और संस्थापक निदेशक **राजेश टंडन** द्वारा लिखे गए इस लेख में सहभागी पद्धतियों के पिछले तीन दशकों के इतिहास का आलेखन किया गया है और उसके आसन्न भविष्य का संकेत किया गया है। लोकतांत्रिक शासन में उनका क्या स्थान है और नागरिकों की सहभागिता किस तरह महत्वपूर्ण है, यह बता कर इस बारे में जो सतर्कता रखनी चाहिए उसे भी दर्शाया गया है।

सामाजिक परिवर्तन और विकास के प्रयासों में दुनिया भर में सहभागी पद्धतियों का विकास हुए और व्यवहार में उनका उपयोग हुए तीन दशक का समय बीता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार की परम्पराएं पूर्व में अस्तित्व में नहीं थीं। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि ऐसी पद्धतियों को स्पष्ट मान्यता मिले लगभग तीन दशक हुए हैं।

इस मान्यता के मूल में तो यह था कि सिद्धांततः लोग परिवर्तन के मूल वाहक हैं; उनकी नागरिक संस्था उनके सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक माहौल में पड़ी हुई है; और वह वातावरण उन्हें अधिकृत सहभागिता के अवसर तो प्रदान करता ही है, साथ ही अवरोध भी पैदा करता है। सहभागिता सम्बंधी इस दृष्टिकोण ने उसे सामाजिक परिवर्तन तथा रूपांतरण के समानतावादी रुझानों के साथ प्रगाढ़ रूप से जोड़ लिया है। ये रुझान ऐसे बुनियादी सिद्धांत पर स्थापित थे और हैं कि अधिक अच्छे जगत के लिए प्रयास करने की प्रत्येक की इच्छा नहीं होती है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए कार्य करने में सक्षम तो होता ही है। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के औपचारिक सिद्धांतों में ऐसे दृष्टिकोण अधिक भद्रवर्गीय व निपुणतालक्ष्यी दृष्टिकोणों के विरुद्ध था। यूरोप के पुनर्निर्माण सम्बंधी मार्शल प्लान का एक मुख्य तत्व नए विश्व बैंक द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ मुहैया कराना था। यही दृष्टिकोण बाद में उस समय हरित के कार्यक्रमों व स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्रों के लिए दुनिया भर में अपनाया गया।

स्वैच्छिक दृष्टिकोण की शुरूआत करने के विरोधियों ने सबसे पहले तो इस सिद्धांत को चुनौती दी कि ज्ञान विशेषज्ञों व व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की बपौती है। यह चुनौती लोगों के रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों व सिद्धियों के प्रमाणों के आधार पर दी गई। सहभागी संशोधन के दृष्टिकोणों ने ज्ञान, शिक्षा और कार्य के वैकल्पिक ख्यालों का निर्माण किया। ज्ञान सम्बंधी विचार के इस रास्ते ने सत्ता, ज्ञान और नियंत्रण के बीच सम्बंधों का स्वरूप उजागर करने की शुरूआत की। ज्ञान के पीछ दौड़ तथा उसे प्रोत्साहन देने के प्रयास में सत्ता के ढांचे उजागर होने की आवश्यक शर्त मानी गई कि उसे सामान्य लोगों द्वारा सहभागिता को बढ़ावा मिले। इस प्रकार के प्रयासों को ब्राजील में पाउलो फेरी के कार्य से समर्थन मिला। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की दलीले दीं और उनका उद्देश्य ज्ञान की सत्ता तथा विशेषज्ञता के नियंत्रक प्रभाव को उजागर करना था। इसे उन्होंने मुक्तिजनक मसला कहा। इसी प्रकार अमरीका के दक्षिण भाग में श्रम के अधिकारों व नागरिक अधिकारों के बारे में माइलेस होर्टन के कार्य द्वारा व्यक्ति के अपने ही द्वारा कार्य करने के लिए सीखने पर ज़ोर दिया गया। दक्षिण एशिया के कुछ अध्ययनों ने इतिहास का नीचे से विश्लेषण करने पर ध्यान केन्द्रित करना और उस पर प्रकाश डालना शुरू किया।

दुनिया भर में १९८० का दशक सहभागी पद्धतियों में नवप्रवर्तन, सृजनात्मकता तथा उसके प्रसार का था। सहभागिता को बढ़ावा देने के व्यवहार में विविध संसाधन, पद्धतियां और स्तर स्थापित हुए, खासकर अब तक जो छूट गए थे और पिछड़े रह गए थे, वे खड़े हुए और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के एजेंडा की व्याख्या बनाई तथा उसे आगे बढ़ाया। उस दशक के अंत तक सहभागी पद्धतियों को व्यावहारिक जगत में कुछ आदर मिल चुका था। हालांकि यह

आदर अनुसंधान जगत में नहीं मिला था। व्यवहारकर्ताओं, संचालकों और पुरस्कर्ताओं का एक विशाल नेटवर्क खड़ा हुआ तथा उसने पारस्परिक शिक्षा व समर्थन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम किया।

नव प्रवर्तन के किसी भी क्षेत्र में सामान्यतः जैसा कि होता है, वैसे ही कुछ विरोधियों ने भारी हंगामा खड़ा किया, तो दूसरी तरफ वास्तविक जगत में जो विभिन्न समस्याएं व्याप्त हैं, उनके निवारण के लिए कुछ लोगों ने सहभागिता दिखाई। ऐसे उत्साह में समाज में गहराई तक पैठ बना चुके ढांचे और संस्थाएं हैं, जिनके स्वरूप पर ध्यान देना भुला दिया गया। उन्होंने सहभागिता में मात्र अवरोध ही खड़ा नहीं किया, बल्कि उसके समानतावादी तथा व्यापकतावादी सिद्धांतों के खिलाफ भी गंभीर चुनौतियां खड़ी की तथा उनके प्रचार-प्रसार को अवरुद्ध किया।

महिला संगठकों और प्रशिक्षकों ने सहभागिता के आड़े ढांचागत व संस्थागत अवरोधों को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव किया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पैठ वाले जो ढांचे हैं, वे परिवारों व समुदायों के सामाजिक सम्बंधों में व्यापक थे। इतना ही नहीं राज्य, बाजार तथा शिक्षा आदि आधुनिक संस्थाओं में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था घुस गई थी। इस प्रकार महिलाओं के ज्ञान की मूल्य वृद्धि के लिए ही नहीं, और नारीवादी दृष्टिकोणों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सहभागी होने तथा उसमें योगदान देने की उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के बारे में भी सवाल उठाए गए।

चुनौतियां सृजनात्मकता लेकर आती हैं और अवरोध अवसर बन सकते हैं। उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने में सहभागी पद्धतियों का क्षेत्र अधिक गहन बना है। उसका दृष्टिकोण समग्रतः लोकतंत्र को समाने वाला बना है। बहुत्व, वैविध्य, समानता और सहिष्णुता के लोकतांत्रिक मूल्यों का १९९० के दशक के मध्य से सहभागी पद्धतियों के कार्य में समन्वय होने की शुरूआत हुई। उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं का अधिक समावेश किया और उनकी लोकतांत्रिक पद्धति के कामकाज पर ध्यान केन्द्रित किया। लोकतांत्रिक शासन को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा दिया, जिससे सहभागिता की नई पद्धतियों व प्रक्रियाओं के प्रयोग किए जा सकें। ऐसे नवप्रवर्तनों की खोज में नए अर्थघटन और नए अर्थ उभरे। सहभागिता ने लोकतंत्र की जांच शुरू की, तो नागरिकता के ख्यालों ने सहभागिता पर प्रभाव डालना शुरू किया। ऐतिहासिक रूप से नागरिकता की व्याख्या राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों की व्यवस्था के संदर्भ में की जाती थी।

नागरिकता के इस कानूनी अर्थ के विरुद्ध अधिकाधिक चुनौतियां पेश की गईं और नागरिकता के अनुभव की विविध वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया। राज्य अपने विविध नागरिकों के बीच जो भेदभाव रखता है, उस पर सतत प्रकाश डालने का कार्य जीवन की वास्तविकताओं ने किया। अनेक नागरिक महिला-पुरुष भेदभाव, वंशीयता, भाषा, प्रदेश, धर्म, जाति आदि के कारण छूट जाने का अनुभव करते थे। समाज के भीतर के संस्थागत भेदभाव राज्य के कामकाज में भी घुस जाते हैं और अपने लाचार नागरिकों के प्रति राज्य के व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। इसीलिए सहभागिता नागरिकता के ख्याल सहभागिता को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रासंगिक दिखाई देते हैं। सहभागी शासन और सहभागी नागरिकता आज जिस तरह व्यवहार में लाए जाते हैं, उससे प्रयोग तथा नवप्रवर्तन के नए क्षेत्र खुलते हैं।

लोकतांत्रिक ढांचे में सहभागिता को एक स्वरूप तथा एक मूल्य दोनों के रूप में स्वीकारा गया, तो सहभागी पद्धतियों के व्यवहारकर्ताओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। लोकतंत्र की औपचारिक संस्थाएं सहभागिता के संदर्भ में विशेषाधिकार रखती हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लोग नेताओं को चुनते हैं और फिर नेता शासन करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक राजनीति में यह ख्याल बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ है। इसीलिए उसने रोजमर्रा के जीवन की राजनीति में नागरिकों के नेतृत्व को स्वीकारा है। उसने मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं की समस्या को फिर उभारा है-क्या आम आदमी लोकतांत्रिक शासन में नेतृत्व लेने के लिए सक्षम है? क्यों हमें प्रतिनिधित्व की जरूरत है - चाहे वह निर्वाचित या चयनित? यदि सभी नागरिकों की सहभागिता की जरूरत हो, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता है? ऐसी समस्याएं अनिवार्यतः खड़ी होंगी ही और कुछ आशंकाएं व डर रहेगा ही।

शेष पृष्ठ 17 पर

असली अपराधियों तक पहुँचें

हाल ही में बेंगलूरू और अहमदाबाद में हुए बम धमाकों को लेकर मुंबई के 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' के सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा 'एकता' व मुंबई की 'कमेटी फॉर कम्युनल एमिटी' के सदस्य **श्री राम पुनियानी** द्वारा इस लेख में धर्मनिरपेक्ष अभिप्राय दिया गया है।

आतंकवादी कृत्यों से देश का दर्द बढ़ता है। ऐसा एक-एक कृत्य निर्दोषों की ही जान नहीं लेता, बल्कि विभाजक परिबल के रूप में भी कार्य करता है, समुदायों का ध्रुवीकरण करता है और राष्ट्रीय अखंडता के धागे को कमजोर बनाता है। आतंकवादी हमले के संदर्भ में समुदायों ने जो हिम्मत दिखाई है, वह काबिले-तारीफ है। वास्तव में, हमले के तुरंत बाद समुदाय मजबूत चट्टान की तरह नज़दीक आए और दुःख के इस समय में सभी ने आपस में मदद की। कोई साम्प्रदायिक राजनीति को मज़बूत करने की बात कर रहा है। आतंकवादी हमले के बाद यह बात अधिक मज़बूत बनी है। पिछले ढाई दशक के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा ने देश में विभाजन की जो भूमिका निभाई है, वह इन धमाकों से अधिक मज़बूत बनी है। अधिकांश मुस्लिम समूहों ने तत्काल इसका विरोध भी किया, तो भी ऐसा होता है। वे आतंकवादी कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिससे यह सार्वजनिक सामाजिक समझ मजबूत नहीं होती कि सभी आंतकवादी मुस्लिम हैं।

२५ जुलाई को बेंगलूरू और २६ जुलाई को अहमदाबाद के बम धमाकों ने रक्तपात किया है। बेंगलूरू में जो बम थे, वे बहुत आधुनिक नहीं थे और वे मारने की बजाए डराने के लिए थे। जिन ९ क्षेत्रों में बम धमाके हुए, उन सभी में एक भी क्षेत्र इन्फॉटेक का नहीं था, ४ क्षेत्र तो मुस्लिम बहुल थे। अहमदाबाद में भी आरडीएक्स या अन्य जेहादी ट्रेड मार्क का उपयोग नहीं हुआ। ये साइकिल, अमोनियम नाइट्रेट और कम तीव्रता वाले बम थे। साथ ही ऐसे अनेक बम सूरत में निष्क्रिय किए गए हैं और इससे यह सवाल उठता हैं कि किस तरह किसी एक राजनीतिक दल के सदस्यों को बम के ठिकाने की जानकारी हुई और वे कैमरे की आंख के सामने किस तरह जिंदा बम आत्मविश्वासपूर्वक पकड़ सके?

जब बम धमाके हुए, तब कई महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घट रही थीं। मनमोहन सिंह सरकार ने विश्वास मत जीता और प्रतिपक्ष तथा भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में विश्वास मत पारित होने पर शर्म महसूस की। अमरनाथ देवस्थान बोर्ड के लिए सरकारी जमीन प्राप्ति के लिए भाजपा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और वह साम्प्रदायिक रंग लेता जा रहा है और वह राष्ट्र की अखंडता के सामने बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हिन्दुओं की अरमनाथ यात्रा का संचालन अधिकांशतः मुस्लिम करते हैं। यह यात्रा पर्यटन के लिए बड़ा आकर्षण है और बहुसंख्य मुस्लिमों के जीवन निर्वाह के लिए एक बड़ा साधन है और गुजरात में ही भाजपा के निकटस्थ साथीदार आसाराम बापू अपने आश्रमों में चार बच्चों की मृत्यु से आशंकाओं से घिर गए हैं। गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जेहादी आतंकवादी उनके राज्य में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो फिर आया कौन?

ऐसा नहीं है कि आतंकवादी कृत्य पहले कभी नहीं हुए। संसद, अंसल प्लाजा, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर आदि पर हमले हुए, एनडीए के शासनकाल के दौरान मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, नांदेड़, झालणा, परभणी, आरएसएस मुख्यालय-नागपुर और चेन्नई आदि में हमले हुए थे। नांदेड़ में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता बम बनाते समय हुए धमाके में मारे गए। हैदराबाद और जयपुर में धमाके हुए। इन धमाकों से देश को बहुत ही नुकसान हुआ है। धमाकों के बाद कुछ बातें बहुत पुनरावर्तक बन गई हैं। इनमे से कुछ बातें स्वागत योग्य हैं, जबकि कुछ बातों को हमारी भौहें चढ़ाना चाहिए। स्वागत योग्य बात यह है कि प्रभावितों की सहायता करने में समुदाय ने जो प्रतिभाव दिया, वह अच्छा था।

एक अन्य बात पर हमें गुस्सा आना चाहिए, वह यह है कि गुप्तचर

संस्थाएं गोपनीय जानकारी पाने और समय पर कार्य करने में विफल रहती हैं। दूसरे, जांचकर्ता संस्थाओं द्वारा इन धमाकों को लेकर जो सिद्धांत खड़ा कर दिया जाता है, वह यह है कि आईएसआई, हूजी और सिमी तथा अन्य संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। इससे एक बहुत ही व्यापक मान्यता को बल मिलता है कि सभी आतंकवादी मुस्लिम हैं। दाढ़ी वाले या दाढ़ी बगैर के कुछ मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाता है तथा वे जेल में सड़ते हैं। कुछ आतंकवादियों के पास डायरियां होती हैं और उनके पास सम्पर्क नंबर होते हैं तथा वे हमारी जांचकर्ता संस्थाओं का काम सरल बनाते हैं। इसके अलावा अधिकांशतः जिनकी गिरफ्तारी की जाती है, उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते। उनके खिलाफ बड़े धमाकों के साथ आरोप लगाए जाते हैं और फिर टांय-टांय फिस्स हो जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रत्येक केस में ऐसा ही होता है और फिर भी कुछ नए सिरे से नहीं सोचा जाता। तीसरे, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जिसमें जांचकर्ता संस्थाओं को सफलता मिली है, लेकिन वे घटनाएं लोगों को बहुत याद नहीं रहती हैं और मीडिया में भी उसे जगह कम मिलती है, क्योंकि आतंकवादी कौन हैं, इस सम्बंध में लोगों के ख्याल उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं।

ऐसी तीन सफलताएं महत्वपूर्ण हैं जो उतनी मशहूर नहीं हैं और इनसे कुछ सीखने की विफलता भी उतनी ही उल्लेखनीय है। पहले तो, अप्रैल-२००६ में बजरंग दल के जो दो कार्यकर्ता बम बनाते समय मारे गए, उस स्थल से मुस्लिमों के पहनने वाले वस्त्र और दाढ़ियां मिली थीं। इस दुर्घटना में बच जाने वालों ने कहा कि हिन्दुओं को बम धमाके करने चाहिए, क्योंकि नहीं तो हिन्दुओं को हिजड़ा समझा जाएगा। ये धमाके मस्जिदों के पास शुक्रवार को ही करने चाहिए, जब दोपहर को मुस्लिम एकत्र होते हैं। परभणी, झालणा में ऐसा ही हुआ और समझौता एक्सप्रेस में भी यही पद्धति प्रयोग हुई थी। ठाणे तथा उसके पास के स्थानों पर जून-२००८ में जो बम धमाके हुए, उनके संदर्भ में हिन्दू जागरण और सनातन आश्रम का हाथ होना स्पष्ट रूप से साबित हुआ था।

महाराष्ट्र के आतंकवाद-विरोधी दस्ते ने अपराधियों को पकड़ा था। चेन्नई में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले के मामले में भी अपराधी पकड़े गए और वे आरएसएस के कार्यकर्ता ही थे। इस बार कुछ आश्चर्यजनक बात यह थी कि सामान्यतः भाजपा के प्रवक्ता धमाकों के बाद किसी मुस्लिम गुट पर दोषारोपण करते हैं, परंतु इसके लिए इस बार उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हताशा के कारण उन्होंने दोष का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, यह समझा जा सकता है, लेकिन जिन पर सामान्यतः आशंका होती है, उन पर शंका की सुई क्यों नहीं गई।

इन करुण घटनाओं का कुल मिला कर दृश्य ऐसा है, परंतु तब राजनीतिक दल उसके बारे में क्या कहते हैं? अब तक, यूपीए के शासन के दौरान भाजपा ने हमेशा प्रत्येक आतंकवादी कृत्य के बाद खासकर पोटा जैसे अधिक कड़े कानून की सिफारिश की है। पोटा में है क्या? यह मात्र शक के आधार पर अधिकारियों को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है और अनिश्चितकाल तक जेल में डाल देने का अधिकार देता है। एनडीए के शासनकाल के दौरान पोटा था, तब भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी थीं। फिर एक ऐसी दलील भी दी जाती है कि भाजपा की सरकारें आतंकवाद का सामना करने के लिए अधिक मुस्तैद हैं। हाल ही में राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में आतंकवादियों ने भी बम धमाके किए और ये तीनों भाजपा शासित राज्य हैं। मेरे राज्य में आतंकवादी आने की हिम्मत नहीं कर सकते, नरेन्द्र मोदी की ऐसी डींग के बावजूद धमाके हुए ही हैं! अन्य कई अर्थघटन हो सकते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है और वह यह है कि आतंकवादी कृत्य साम्प्रदायिक राजनीति को दीर्घावधि में लाभ देते हैं। पिछले दो दशकों के दौरान साम्प्रदायिक राजनीति अधिक मजबूत बनी है। अधिकांश जांच समितियों की रिपोर्टें कहती हैं कि हिंसा में भाजपा के सहयोगी संगठनों का हाथ दिखता है। पहले यह काम साम्प्रदायिक कृत्य करते थे यानी वे समुदाय का ध्रुवीकरण करते हैं। एक धार्मिक समुदाय के लोग आतंकवादी प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसा प्रचार अन्य के मुकाबले अधिक सफल होता है।

पाकिस्तान के प्रशासन और अलकायदा की भूमिका से कोई इनकार नहीं करता। इन दोनों को अमरीका के तेल के हितों ने समर्थन और बल दिया है परंतु आतंकवादी कृत्यों के बारे में दक्षिण एशिया के विचारों पर उनका काफी विपरीत असर होता है। अलकायदा के हमलों के बाद और मुंबई की १९९२-९३ की साम्प्रदायिक हिंसा के

बाद ऐसा कहा जाता है कि इन पागलपन भरे कृत्यों को कई बार धर्म का बचाव करने के लिए किया जाता है। ९-११ के बाद इस्लामी आतंकवाद शब्द का उपयोग व प्रचार कर अमरीकी मीडिया ने एक चक्कर पूरा कर दिया है ! अब समय आ गया है कि हम इस मानसिकता से बाहर आएं, हमारी जांच एजेंसियां पूर्वधारणाओं से बाहर आएं और असली अपराधियों को पकड़ें। ठाणे में उन्होंने जो कुछ किया, उसी तरह वे काम करें। जो जांच पूर्वधारणाओं और पक्षपातों से भरी होती है, वह कभी सफल नहीं होती और वास्तविक समस्या का हल कभी भी नहीं करती।

सम्पर्क: ram.puniyani@gmail.com

पृष्ठ 14 का शेष

सहभागी पद्धतियों के व्यवहारकर्ताओं के दिमाग में ये समस्याएं खड़ी होंगी ही। ऐसी आलोचनाएं और सवाल दर्शाते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं और उसके क्षेत्रों में सहभागिता को लक्ष्य बनाया जाता है और उसकी दिशा को खंगालने का प्रयास किया जाता है।

रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियों का जब हम मापन करते हैं, तब सहभागी पद्धतियों के व्यवहारकर्ताओं व प्रायोजकों को दो रुखों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम तो लगभग तीन दशक तक खो चुका सहभागी संशोधन विद्वद्जगत में पुनः स्थान पा रहा है। जगत के अनेक भागों में नए प्रयासों की नई लहर आ रही है। उदाहरण के तौर पर यूरोप में 'लिविंग नॉलेज' नेटवर्क्स हैं, तो उत्तर अमरीका में समुदाय आधारित संशोधन ने अड्डा जमाया है।

एशिया व अफ्रीका में देशज और मातृभाषा के ज्ञान की पद्धतियां आई हैं। यह दर्शाता है कि उसे नया शैक्षणिक जामा मजबूती व आदर के साथ पहनाया जा रहा है। यह रुख वास्तव में स्वागत योग्य है ! हालांकि सहभागी पद्धतियों के बल को रोज़मर्रा के जीवन की राजनीति में इस तरह बनाए रखने की जरूरत है, जिससे वह शिक्षा जगत के प्रांगणों में ढंका न रहे। भले फिर वह वहां कितना ही माननीय और आदरणीय क्यों न हो। सहभागी पद्धतियों के व्यवहारकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है।

दूसरा रुख सहभागिता का सतत विस्तृत हो रहा क्षेत्र है। पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान सहभागी पद्धतियों के अनेक व्यवहारों, नवप्रवर्तनों और अध्ययनों ने दर्शाया है कि सहभागिता की नदी को उसके प्रवाह के लिए और विश्राम के लिए अनेक नए पड़ाव प्राप्त हुए हैं।

सहभागिता के निश्चित और संवैधानिक रूप से दिए गए क्षेत्र विस्तृत होते गए हैं, व्यवहारकर्ताओं ने सहभागिता की सहज व मूल जगह प्राप्त की है, अब तक जिसे घरेलू या निजी क्षेत्र कहा जाता था, उसे सार्वजनिक जीवन में खींच लाया गया है। सहभागी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का यह जो विस्तार हुआ है, वह भी वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है। इस क्षेत्र के विस्तार का एक दूसरा स्वरूप भी है और वह 'वर्च्युअल स्पेस' इंटरनेट का उदय तथा इन्फॉटेक की प्राप्ति के कारण सहभागी पद्धतियों में नवप्रवर्तन के लिए अनेक स्रोत खुल गए हैं, लेकिन इस 'वर्च्युअल स्पेस' को आश्रय (शेल्टर) बनाने का रवैया बढ़ता जा रहा है और वास्तविक भौतिक क्षेत्रों से दूर भागने के रास्ते खोजे जा रहे हैं।

दुनिया भर में अनेक युवक ऐसे 'वर्च्युअल स्पेस' में बहुत उत्साहपूर्वक सहभागी हुए हैं। कई लोग तो ऐसे 'वर्च्युअल स्पेस' में अपनी भागीदारी को अधिक बलवती बनाने के लिए नई व उत्तेजक पहचान को अपना भी रहे हैं। हम किस तरह वर्च्युअल स्पेस को वास्तविक भौतिक क्षेत्र के साथ पुनः जोड़ते हैं? भौतिक वास्तविकताओं के जगत में 'वर्च्युअल स्पेस' की सहभागी पद्धतियों के विस्तार की संभावनाओं का उपयोग हम कैसे करते हैं?

मानव अस्तित्व के प्रत्येक युग में विभिन्न संभावनाएं खुला करती हैं। सहभागिता की पद्धतियां व संसाधन इस प्रकार खोजने चाहिए कि वे इस युग में अनुकूल बनें। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि सशक्तिकरण का उसका समेकित दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक व्यापकतावाद और समानतावाद के केन्द्रीय सिद्धांत भविष्य के तमाम व्यवहारकर्ताओं के लिए सदैव चमकते रहने चाहिए। सहभागी पद्धतियों के हाल के व्यवहारकर्ताओं पर यह पीढ़ीगत जिम्मेदारी है।

स्थानीय निकायों की प्रतिभावात्मकता: गुजरात में सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नागरिक ढाँचे

प्रिया की **सुश्री मंदाकिनी पंत** और **उन्नति** के **श्री तापस सत्पथी** द्वारा पार्टिसिपेशन एण्ड गवर्नेंस में लिखे इस लेख में गुजरात में नागरिकों के मंडलों तथा नेटवर्कों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए हुए प्रयासों का उल्लेख है। इस अध्ययन में सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रशासनों व स्थानीय शासन संस्थाओं की प्रतिभावात्मकता के बीच के सम्बंधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। पारदर्शिता के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रशासनों में सार्वजनिक सेवा पर निगरानी, स्थानीय कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श, सामाजिक अंकेक्षण तथा सूचना के अधिकार के उपयोग का समावेश होता है। यह लेख प्रस्थापित करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से शासन में सुधार होता है।

प्रस्तावना

शासन का अर्थ सार्वजनिक जन कल्याण के लिए सार्वजनिक संसाधन एकत्र करने सम्बंधी तथा उनके उपयोग सम्बंधी निर्णय प्रक्रिया है। इसमें इतना ही नहीं चाहा जाता कि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक या अन्य सार्वजनिक संस्थाएं कार्यक्षम और कम खर्चीली बनें, बल्कि गरीबों, पिछड़े लोगों और प्रतिनिधित्वहीन लोगों सहित तमाम नागरिकों का सक्रिय व अर्थपूर्ण रूप से सहभागी भी बनना अपेक्षित होता है। सहभागी शासन के सूत्र का अर्थ यह है कि लोकतंत्र में नागरिक मतदाता और लाभार्थी बनने के अलावा भी बड़ी और व्यापक भूमिका निभाएं। शासन को समावेशी, प्रतिभावात्मक और उत्तरदायी बनाने में उनके कार्य, समावेश और सहभागिता का महत्व है।

यदि समुदाय के भीतर समान विचारधारा वाले नागरिकों के मंडल लाभवंचित वर्गो के हितों की चिंताओं को शासन की संस्थाओं के समक्ष पेश न करें, तो वे व्यक्त ही नहीं होंगी। नागरिकों का मंडल एक ऐसा समूह है, जिसमें नागरिक कम से कम एक समान मुद्दा या हित रखते हैं और कुछ निश्चित परियोजनाओं पर साथ मिल कर काम करते हैं। जैसे बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की अनुपस्थिति, वर्तमान अधिकारों का प्रावधान और रक्षा जैसे मुद्दों पर वे काम करें। सार्वजनिक सेवाएं देने वाले उत्तरदायी बनें, इसके लिए वे समान मसलों पर जागरूकता के साथ और उद्देश्यपूर्वक एकत्र होते हैं। पड़ोसी मंडलों, स्थानीय संघ, युवक मंडल तथा सतर्कता समिति विविध प्रकार के नागरिक मंडलों के उदाहरण हैं।

१९९२ में ७३वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे पंचायतों को स्थानीय स्तर पर संस्थागत स्वरूप मिला और वे शासन के तीसरे स्तर की संस्थाएं बनीं। उसने लोगों के प्रतिनिधित्व का मौका बढ़ाया और शासन के मसलों में लोगों की हाजिरी बढ़ी। स्थानीय स्वशासन में लोगों की सक्रियता का अर्थ मात्र इतना नहीं कि वे निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, परंतु वे अधिकारों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का भी निर्माण करते हैं, बुनियादी सेवाओं के अधिकारों और प्रावधानों का भी निर्माण करते हैं तथा उस सम्बंध में कार्य करते हैं। ग्राम सभा की बैठकें होना अनिवार्य है। उन्होंने लोगों को उनसे सम्बंधित मसलों को उठाने के लिए अवसर दिया है और नीतियों पर वे प्रभाव डाल सकते हैं, ताकि नीतियां उनका पक्ष लें।

यह विकेन्द्रीकरण सम्बंधी संशोधन है। इसके कारण पंचायतों को अधिक प्रतिभावात्मक और संवेदनशील बनाने के लिए सामूहिक कार्य करने लिए नागरिकों ने उनके मंडलों या समूहों का गठन किया है। यह विकेन्द्रीकरण प्राथमिकताएं तय करने व संसाधनों के आवंटन में नागरिकों की सहभागिता के लिए नए अवसर पैदा करता है। नागरिकों के समूह गांव में गरीब व पिछड़े लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के सम्बंध में सामूहिक कार्य करता है तथा पंचायत में उनके हितों का समावेश करने के लिए लॉबिंग करता है तथा सार्वजनिक जीवन मे उनकी भागीदारी मजबूत बनाता है। वे पिछड़े लोगों के अधिकारों के लिए दावा ठोकने का प्रयास करते हैं तथा समझौता करते हैं। वे भागीदार होते हैं और स्पष्ट रूप से उनसे सम्बंधित मसले पेश करते हैं, जिससे शासन की व्यवस्थाएं इन नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनी हैं।

यह लेख गुजरात में नागरिकों के मंडलों और नेटवर्कों द्वारा सामाजिक

उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए की गई पहल से सम्बंधित है। अहमदाबाद जिले की धोळका व दसक्रोई तहसीलों और साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर, विजयनगर, मोडासा, इडर एवं खेडब्रह्मा तहसीलों में पंचायत विकास समिति (पीवीसी) और साबरकांठा जिले में खेडब्रह्मा तहसील की महिला विकास समिति ने स्थानीय शासन की संस्थाओं को प्रतिभावात्मक बनाने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बंधित जो प्रयास किए हैं, उनका आलेखन किया गया है। पारदर्शिता के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाओं में सार्वजनिक सेवाओं पर देखरेख रखने और सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का समावेश नहीं होता।

नागरिक मंडलों की सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बंधी पहल तथा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया पर उसका प्रभाव मंडलों की क्षमता पर आधारित है। यह क्षमता शिक्षा, सूचना, कौशल्य, विश्वास तथा चयन और कार्य की स्वतंत्रताओं के आधार पर स्थापित होती है। यहां अंतरिम नागरिक समाज के संगठन (सीएसओ) संचालक की भूमिका निभाते हैं। उन्हें शिक्षा देकर, उन्हें संगठित कर और एकत्र कर तथा उद्देश्यपूर्ण व जागरूक ढंग से स्थानीय स्वशासन को केन्द्र में लाकर वे वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के उद्दीपक बनते हैं। यहां इन नागरिक मंडलों की शक्ति बढ़ाने में 'उन्नति' के ढांचे ने जो भूमिका निभाई, उस पर रोशनी डाली गई है। २००४-०६ के दौरान 'उन्नति' द्वारा की गई पहल की जानकारी यहां दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो केस स्टडीज दी गई हैं वे देश भर में चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिक मंडलों की सहभागिता को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती हैं या उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। निश्चित संदर्भ में नागरिक मंडलों के जो अनुभव रहे हैं, उसकी गुणात्मक झांकी कराने का प्रयास यहां किया गया है।

सिद्धांत

लोगों की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिभावात्मक मजबूत राज्य लोकतंत्र का द्योतक है। राज्य उसके लक्ष्य से च्युत न हो, उसके लिए नागरिकों की सहभागिता अनिवार्य है। वे राज्य की समीक्षा करते हैं, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, पिछड़े लोगों की आवाज को पेश करते हैं और जहां जरूरी हो, वहां लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए राज्य को समर्थन भी देते हैं। लोकतंत्र में मजबूत नागरिक समाज और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की हाजिरी का अर्थ यह है कि राज्य में लोग सतत शामिल होते हैं, राज्य पर प्रभाव डालते हैं और राज्य को सुधारते हैं।

१. उत्तरदायित्व की चुनौती

राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बाद के समय और पिछड़े नागरिकों की भागीदारी पर बारीकी से नजर डालने पर प्रतीत होता है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिभावात्मक बनाने का उद्देश्य तो अभी भी एक सपना ही बना हुआ है। सरकार की प्रवृत्तियों का बंटे होने के स्वरूप में विकेन्द्रीकरण हुआ है, परंतु सत्ता व कार्यों के आवंटन के संदर्भ में विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्थाएं राज्य की ताबेदार क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में ही काम करती हैं। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो विभाग हैं, वे ही मुख्यत: सेवाएं देने का काम करते हैं। नागरिक आयोजन व संसाधनों के आवंटन में भागीदार हों, विकास के कार्यक्रमों को मंजूरी देने का काम करें तथा कार्यक्रमों के अमल की प्रक्रिया पर निगरानी रखे, ऐसे मंच के रूप में ग्राम सभा काम करे, यह स्वरूप तो सिद्ध हुआ ही नहीं है। इससे लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि वे शासन में हितधारक हैं।

गांवों में गरीब नागरिकों के लिए पंचायती राज सस्थाएं उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का काम करती हैं। वे बुनियादी सेवाएं देती हैं, उनके जीवन निर्वाह के अवसर सुनिश्चित करती हैं तथा समता व सामाजिक न्याय पर आधारित निरंतर विकास को बढ़ावा देती हैं। हालांकि पिछड़े लोग और गरीब आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं कर सके हैं, क्योंकि सरकार के विभिन्न विभाग ही अभी सेवाएं देने का मुख्य काम करते हैं। वे विभाग नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। इतना ही नहीं वे पंचायती राज संस्थाओं के प्रति भी उत्तरदायी नहीं हैं। आवश्यक बुनियादी सेवाएं उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता व कार्य सौंपे नहीं गए हैं, संसाधनों का गलत आवंटन होता है, भ्रष्टाचार होता है या मांग ठीक से पेश नहीं की जाती। सूचना तथा संचार के अभाव के कारण समस्याएं अधिक तीव्र बनती हैं।

गरीब लोग ही सरकारी सेवाओं पर अधिक निर्भर हैं, परंतु वे सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए सबसे कम तैयार होते है। अनुसंधान दर्शाते हैं कि सरकार के प्रति गरीब लोगों

का असंतोष का सम्बध कुल मिला कर प्रतिभावात्मकता और उत्तरदायित्व के प्रश्नों के साथ है। गरीब कहते हैं कि अधिकतर राज्य की संस्थाएं गरीबों के प्रति प्रतिभावात्मक और उत्तरदायी नही होतीं, परंतु धनवान व शक्तिशाली लोगों के प्रति ही उत्तरदायी होती हैं।

गरीब ग्रामवासी उन्हें छूने वाले मसले व्यवस्थित ढंग से पेश नहीं कर सकते, सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं बना सकते तथा बुनियादी सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। वे संगठित नहीं होते। इस संदर्भ में सामाजिक मंडलों, ढांचों और संस्थाओं जैसे सामाजिक संसाधनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग ऐसे सामाजिक संसाधन अस्तित्व बनाए रखने व सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं। इसीलिए नागरिकों के मंडल पिछड़े लोगों के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जिनके द्वारा वे बुनियादी सेवाओं का प्रावधान तय कर सकते हैं तथा सेवाओं की आपूर्ति करने वालों से उत्तरदायित्व मांग सकते हैं।

२. सामाजिक उत्तरदायित्व

नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार को उत्तरदायी ठहराने का है। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयास नागरिक समाज की इस महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिबिंब दर्शाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह नागरिकों की सहभागिता का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें नागरिक सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए राज्य में शामिल होते हैं। उसका विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रगाढ़ सम्बंध है। सरकारी अधिकारी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनें, यह उनका कर्तव्य है, यह बात नागरिकों के सूचना के अधिकार से स्थापित होती है। सामाजिक जिम्मेदारी की विभावना का सहभागिता की विभावना के साथ प्रगाढ़ सम्बध है। नागरिकों की सहभागिता के कारण ही उत्तरदायित्व के परम्परागत स्वरूपों से सामाजिक उत्तरदायित्व अलग पड़ता है। अनेक मामलों में नागरिक, समुदाय व नागरिक समाज के संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रवृत्तियों में मात्र सहभागी ही नहीं होते, बल्कि वे शुरूआत करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है, क्योंकि इसमे सरकार के कामकाज पर नजर रखी जाती है और पारदर्शिता मांगी जाती है तथा बढ़ाई जाती है। ये तमाम व्यवस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के लिए पूरक बनती हैं, क्योकि इनमें सार्वजनिक सेवाओं, देखरेख और उत्तरदायित्व की मांग पैदा होती है।

३. नागरिकों के मंडल और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयास

शासन की संस्थाओं में हस्तक्षेप अलग-अलग तरह से होता है। जैसे शिकायत करना, विरोध करना, हिमायत करना, संवाद करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होना, सेवाओं पर निगरानी रखना, नीतिगत निर्णयों पर स्थायी प्रभाव स्थापित करना आदि। नागरिकों के मंडल शासन की संस्थाओं में निम्नानुसार तीन तरह से शामिल होते हैं:

(क) आवाज प्रस्तुत करना:

शासन की संस्थाएं पिछड़े नागरिकों की जरूरतों के प्रति प्रतिभावात्मक बनें, इसके लिए नागरिकों के मंडल उनकी आवाज प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे संसाधन प्राप्त कर सकें तथा उन पर नियंत्रण रख सकें और न्याय एवं बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्राप्त कर सकें।

(ख) समझौता करना:

नागरिकों के मंडल शक्तिशाली वर्गों के साथ समझौता करने के लिए नागरिकों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें एकत्र करते हैं, उन्हें इसकी शिक्षा देते हैं तथा उनकी क्षमता का निर्माण करते हैं। वे संघर्षों के निवारण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करते हैं तथा इच्छित विकासलक्ष्यी लक्ष्य हासिल करते हैं।

(ग) विश्वसनीयता में वृद्धि:

समुदाय से सम्बंधित मसलों के बारे में संवेदनशील बन कर, समस्याओं की गहराईपूर्वक समझ स्थापित कर तथा समानता एवं सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रख कर नागरिकों के मंडल समुदाय में और शासन की संस्थाओं मे विश्वसनीयता प्राप्त करते हैं। वे जागरूकता स्थापित कर तथा विकासलक्ष्यी कार्य करने के लिए नागरिकों को एकत्र कर नागरिकों की आवाज को धारदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे सेवा देने सम्बंधी कार्यक्रमों पर निगरानी रख कर तथा उनका मूल्यांकन कर उनके संघर्ष को समर्थन देते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों के साथ संवाद कर वे सुधारात्मक कदम उठाने के लिए दबाव डालते हैं। इस प्रकार वे सेवाओं के प्रावधान में असरकारकता लाते हैं और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया को

पारदर्शी, सहभागी और गरीबलक्ष्यी बनाते हैं।

नागरिक मंडलों के ढांचे

१. पंचायत विकास समिति

यह ग्राम सभा के सक्रिय सदस्यों का एक मंडल है। यह पंचायत और ग्राम सभा के बीच सेतु के रूप में काम करती है। यह महिलाएं व अन्य सुदूर समुहों की सहभागिता द्वारा ग्राम सभा को सक्रिय बनाती है। यह समतापूर्ण एवं सामाजिक रूप से न्यायी विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर समस्याओं पर चर्चा करती है तथा उनको हल करने का प्रयास करती है। यह पंचायत की प्रतिभावात्मकता सुनिश्चित करती है और पंचायत की प्रवृत्तियों पर निगरानी रख कर बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति को गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहती है। इसके लिए यह सरकारी कर्मचारियों व मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी निगरानी रखती है। कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायत में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व चाहती है।

प्रत्येक पंचायत में दो सक्रिय नागरिकों की पहचान की जा सकती है। उनके सहित १२ से १४ नागरिक नेताओं की एक समिति बनती है, जो पंचायत विकास समिति होती है। यह समिति उसके तीन प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव तय करती है। यह पंचायत, सम्बंधित अधिकारियों और ग्राम सभा के सदस्यों के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। यह नियमित रूप से बैठक करती है तथा बुनियादी सेवाओं एवं अन्य उपस्थित विकास सम्बंधी मुद्दों पर और उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करती है। 'उन्नति' के कार्यकर्ता इन बैठकों का संचालन करते हैं। प्रत्येक बैठक के बाद कोई न कोई ठोस कदम तय होता है और इस कदम की जिम्मेदारी भी तय होती है।

पंचायत विकास समिति (पीवीसी) के सदस्यों के लिए अधिकांशतः १८ से ३५ वर्ष की आयु सीमा पसंद की जाती है। गांव की विकासलक्ष्यी प्रवृत्तियों के लिए काम करने की उनकी वृत्ति तथा कुछ सीख कर नया करने की उनकी वृत्ति और कुछ सीख कर नया ज्ञान प्रयोजन करने की उनकी आतुरता के आधार पर उनका चयन किया जाता है। सामान्य लेखन-पठन का कौशल्य रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें रोज-ब-रोज किसी न किसी सूचना के साथ पाला पड़ने वाला होता है। प्रत्येक सदस्य से संबंधित सूचना एकत्र की जाती है। इसमें लगभग ३३ प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं।

२. क्षेत्रीय विकास समिति (केवीसी)

पंचायत विकास समितियों का तहसील स्तरीय नेटवर्क है। प्रत्येक पंचायत विकास समिति के दो सक्रिय नागरिक नेताओं की क्षेत्रीय विकास समिति बनती है। क्षेत्रीय विकास समिति में करीब १५ से २० सदस्य होते हैं। इसकी बैठक तहसील स्तर पर नियमित रूप से होती है और बुनियादी सेवाओं तथा अन्य विकासलक्ष्यी मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाती है।

३. महिला विकास समिति

महिला नागरिक नेताओं व निर्वाचित प्रतिनिधियों के तहसील स्तरीय नेटवर्क के रूप में महिला विकास समिति (एमवीएस) का गठन किया जाता है। इसमें १७ से २० सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होती है। कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य निकटस्थ तीन गांवों की जिम्मेदारी लेते हैं। कार्यकारिणी समिति के सदस्य तीन-तीन गांवों की जिम्मेदारी लेते हैं। वे स्थानीय महिलाओं और नेताओं के साथ आधे दिन की बैठक करते हैं और स्वास्थ्य, पेयजल व अन्य बुनियादी सेवाओं पर चर्चा करते हैं। वे उनके घर से ही अनौपचारिक सूचना केन्द्र चलाते हैं। प्रत्येक महिला १६ से अधिक वर्ष की होती है। महिला विकास समिति की कार्यकारिणी की हर माह दो बैठकें होती हैं। 'उन्नति' द्वारा स्थापित पंचायत संसाधन केन्द्र (पीआरसी) द्वारा इन बैठकों का संचालन किया जाता है।

नागरिकों के मंडलों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयास

बुनियादी सेवाओं पर निगरानी रखने और शासन की संस्थाओं को प्रतिभावात्मक बनाने के लिए नागरिक मंडलों द्वारा किए गए प्रयासों और सामाजिक उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए प्रयासों के उदाहरण यहां दिए गए हैं:

१. मध्याह्न भोजन योजना पर निगरानी

धोलका तहसील के संथाल गांव की पंचायत विकास समिति को मध्याह्न भोजन योजना में स्कूल के बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता थी। योजना के आयोजक हल्की गुणवत्ता वाला भोजन देते थे और अनाज अपने घर रखते

थे। समिति के सदस्यों ने योजना पर निगरानी रखना शुरू किया, क्यों कि उन्हें लगा कि योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता होती है। इसमें खामियां हैं तथा इसका विपरीत प्रभाव बच्चों पर होता है। अपनी मासिक बैठक में चर्चा के बाद समिति ने एक माह के लिए योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का निश्चय किया।

पंचायत विकास समिति की उपाध्यक्ष श्री मीनाबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओ ने योजना पर निगरानी की जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने तीन जनों की एक छोटी समिति बनाई। तय हुआ कि वह रोजाना स्कूल में जाए, जांच करे और तय किए गए ढांचे में उसे नोट करे। स्कूल में हाजिरी देने वाले बच्चों, स्कूल में भोजन लेने वाले बच्चों की संख्या, भोजन की वस्तुओं तथा उपयोग में लिए गए कच्चे माल की गुणवत्ता आदि को वे नोट करती थी।

एक माह तक रविवार को छोड़ कर तमाम दिन ये तमाम बातें नोट की गईं। एक माह तक सतत देखरेख के बाद पंचायत विकास समिति ने सारी जानकारी एक बैठक में सरपंच और गांव के लोगों को दी। फिर उन्होंने तहसीलदार के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। आयोजक ने पहले तो इसका विरोध ही किया, परंतु सरपंच और समुदाय ने इसमें साथ दिया, जिससे वे ज्यादा कुछ कर नहीं सके। एक बार तो बच्चों के लिए बनाए गए भोजन से छिपकली भी मिली। इस घटना को मीडिया में व्यापक स्थान मिला। आयोजक ने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकारी और माफी मांगी। देखरेख की प्रक्रिया के कारण भोजन की गुणवत्ता सुधरी। अनाज का जत्था भी स्कूल के परिसर में लाया गया। जत्थे का पत्रक अब नियमित रूप से लिखा जाता है। पंचायत विकास समिति को सेवाओं पर देखरेख का महत्व समझ में आया। समग्र प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप दिया गया। पंचायत विकास समिति समय-समय पर स्कूल का दौरा करती है। अब आयोजक उसका काम छोड़ देना चाहता है। समुदाय व सरपंच ने यह काम मीनाबेन पटेल को सौंपने का निश्चय किया है।

२. ग्राम स्तर के कर्मचारियों पर निगरानी

न्यूनतम अच्छी जीवन शैली प्राप्त करने के लिए बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। बुनियादी सेवाओं पर निगरानी करना पंचायत विकास समिति का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

पंचायत विकास समिति बुनियादी सेवाओं पर निगरानी रखती है और इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन लाती है, परंतु अन्य कई मोर्चे पर वह विफल रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी उसे समर्थन नहीं देते। एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व निरीक्षक, शिक्षक, ग्राम सेवक, मलेरिया कार्यकर्ता जैसे अनेक कर्मचारी सरकार देती है और उनकी नियुक्ति करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत दर पर अनाज व पीने के पानी जैसी किसी भी सेवा को सफलतापूर्वक गांव में उपलब्ध कराने का आधार इस पर है कि सरकारी कर्मचारी गांव में किस तरह काम करते हैं। नेसडा गांव में 'पंचायत विकास समिति' ने अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की कि लोग गांव स्तर के सरकारी कर्मचारियों के कामकाज से ही अवगत नहीं हैं, जो गांव में उन्हें सेवा देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके गांव का दौरा करने की भी जानकारी उन्हें नहीं होती है। जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क करना मुश्किल था। गांव स्तर के सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली ही ऐसी थी कि मानो वे गांव या पंचायत के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं।

उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि 'पंचायत विकास समिति' सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लेकर बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करे। धोळका तहसील की 'क्षेत्रीय विकास समिति' की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 'क्षेत्रीय विकास समिति' ने ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों के साथ एक दिन चर्चा सभा की। वे तहसील विकास अधिकारी (टीडीओ) से मिले तथा सभा का महत्व समझाया। उन्होंने टीडीओ से आग्रह किया कि वे तमाम सरकारी कर्मचारियों को इस सभा में हाजिर रहने और जरूरी सूचना देने के लिए आदेश दें। ग्रामजनों और सरकारी कर्मचारियों के बीच उनकी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं पर संवाद स्थापित करना इस चर्चा सभा का उद्देश्य था। समिति के सदस्यों ने गाँव के प्रवेश द्वार के आगे एक बोर्ड लगाने का निर्णय किया और उसमें गांव में आने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी आएं-जाएं, तब हस्ताक्षर करे तथा समय लिखें। आरंभ में पंचायत विकास समिति के सदस्यों ने पटवारी को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया। पटवारी ने इससे इनकार किया और कहा कि वे अकेले कर्मचारी नहीं हैं, जो गांव का दौरा करते हैं। अतः अन्य कर्मचारी भी अपने दौरे को नोट करें। अतः यह तय हुआ कि तमाम सरकारी कर्मचारी इसमें नोट करें यानी ग्राम सेवक, ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मलेरिया कार्यकर्ता आदि भी बोर्ड में अपना नाम आने-जाने का समय नोट करे, जिनके दौरे व सेवाएं गांव के लिए अति

महत्वपूर्ण हैं।

विचार-विमर्श के बाद अंततः यह बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड जहां लगाया गया, उसके ठीक सामने ही एक दुकान थी जहां चॉक रखा गया था। जब सरकारी कर्मचारी गांव में आएगा, वह दुकान से चॉक लेकर और अपना नाम और समय नोट करेगा। विमर्श सभा के बाद गांव की बुनियादी सेवाओं में खासा सुधार हुआ। कई व्यावहारिक समस्याओं का हल हो गया। जिस दिन और जिस समय पटवारी व अन्य सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं, उसकी जानकारी लोगों को हो गई। गांव में अधिकतम लोगों को उनकी सेवाओं का लाभ मिलने का रास्ता उन्होंने खोज लिया। शिक्षक नियमित हो गए। एएनएम अब नियमित आता है तथा तमाम लोगों से मिलता है। पटवारी भी नियमित आता है और लोगों को सहयोग देता है। राशन की दुकान से निर्धारित समय पर अनाज बेचा जाता है। ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी की सफलता ने धोळका तहसील के लिए एक मिसाल पेश की है। अन्य पचायतें भी ऐसा बोर्ड लगाने पर विचार कर रही हैं।

३. सामुदायिक धरोहर सर्जन पर निगरानी

नेसडा गांव में दलितवास में पक्का रास्ता नहीं था। इसके कारण बच्चों की शिक्षा सहित कई सारी सामाजिक समस्याएं पैदा होती थीं। वर्षा ऋतु के दौरान कस्बे का रास्ता गड्ढे और कीचड़ वाला हो जाता था। ऐसे रास्ते पर चलने मे भी तकलीफ होती थी। वर्षा ऋतु के दौरान अधिकांशत बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पंचायत विकास समिति ने अपनी मासिक बैठक में इस बारे में चर्चा की और समस्या को लेकर पंचायत के साथ बात करने का निर्णय किया। वे सरपंच और पंचायत के अन्य सदस्यों से मिले तथा उनके साथ चर्चा की, लेकिन पंचायत को मनाने के लिए उनके साथ अनेक बैठकें करनी पड़ी और अंततः ग्राम पंचायत ने दलित कस्बे में रास्ते के निर्माण को मंजूरी दी, लेकिन इस मंजूरी से समस्या का हल नहीं हुआ। पंचायत विकास समिति जानती थी कि यदि निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, तो आगामी वर्षा ऋतु के दौरान दलित कस्बे के लोगों को पुनः उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रास्ते के निर्माण पर निगरानी रखने का निश्चय किया। सरपंच कम खर्च में कैसा भी रास्ता बनवा देना चाहते थे। 'पंचायत विकास समिति' के सदस्य सरपंच व पंचायत के अन्य सदस्यों से मिले और कहा कि यह जरूरी है कि रास्ता अच्छी गुणवत्ता वाला बने। हालांकि गुणवत्ता पर जोर दिया गया, जो पंचायत को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे पंचायत विकास समिति के सुझाव को स्वीकारना पड़ा। पंचायत विकास समिति के सदस्य रास्ते के निर्माण के समय हाजिर रहते और सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, रेत आदि के मिश्रण पर नज़र रखते। इस प्रकार पंचायत विकास समिति के सातत्यपूर्ण प्रयासों के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले रास्ते का निर्माण हुआ।

४. राशन की दुकान के दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही

साबरकांठा जिले में खेड़ब्रह्मा तहसील की डेरोल ग्राम पंचायत की 'महिला विकास समिति' सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की सेवाएं सुधारने के प्रयासों में सफल रही। डेरोल ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक कस्बे में पंचायत विकास समिति की बैठक के दौरान एक दर्दनाक घटना घटी। एक महिला ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया, क्योंकि राशन की दुकान से उसे पर्याप्त केरोसिन नहीं मिला। ग्रामवासियों ने उसे जलने से रोका। महिला विकास समिति तुरंत जुट गई। उन्होंने तहसीलदार को जांच करने और दुकानदार को हटाने की मांग की। उन्होंने जांच अधिकारी के साथ बातचीत की और सुनिश्चित किया कि हर माह एक बार गांव में केरोसिन आता है, उसकी बजाए पंद्रह दिन में एक बार, दो चरण में केरोसिन आए। उन्होंने यह भी तय करवाया कि दुकानदार बिल बुक घर न ले जाए, महिला-पुरुषों की अलग-अलग कतार हो, कालाबाज़ारी न हो, इसके लिए एक व्यक्ति को एक परिवार का ही केरोसिन दिया जाए। जो ज़बरन नियम का उल्लंघन करते हैं और अधिक केरोसिन ले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का भी निश्चय हुआ।

५. बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति

हिम्मतनगर तहसील के हमीरगढ़ गांव में अनेक परिवार बेघर हैं, क्योंकि उनके पास घर निर्माण के लिए भूखंड नहीं है। 'पंचायत विकास समिति' ने गांव की इस समस्या पर अपनी बैठकों में चर्चा की। उन्होंने आवास की यह समस्या हल करने का निश्चय किया और जब तक समस्या हल न हो, तब तक लगे रहने का भी निश्चय किया।

उन्होंने पंचायत से ऐसे लोगों को ज़मीन आवंटन का आग्रह किया।

उन्हें पता चला कि गांव में इस उद्देश्य के लिए आवंटित करने के लिए ज़मीन है ही नहीं। जो ज़मीन दी जा सकती है, वह ज़मीन तो पथरीली है, जिस पर घर बनाना संभव नहीं है। 'पंचायत विकास समिति' ने पंचायत को सुझाव दिया कि पथरीली ज़मीन को समतल बनाया जाए। आरंभ में पंचायत ने सहमति नहीं दी। 'पंचायत विकास समिति' के सदस्य इस मुद्दे पर पंचायत के सदस्यों को समझाने के लिए सतत प्रयास करते रहे और अंततः काम बना। पंचायत ने अंततः विकास समिति का आग्रह स्वीकारा तथा जमीन समतल बनाने का काम शुरू किया। आज बेघर परिवारों को घर निर्माण के लिए ज़मीन आवंटित की गई है और घरों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रतिभावात्मकता की प्रक्रिया

ऊपर जो प्रयास दर्शाए गए हैं, वे सामूहिक हित की प्रस्तुति तथा हस्तक्षेप के मामले हैं, जो कदम उठाए गए वे सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए हैं जो तंत्र विकसित किया गया तथा शासन की संस्थाओं की प्रतिभावात्मकता विकसित करने के लिए किए गए कामों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

१. कदम

(क) प्राथमिक समस्याओं की पहचान

नागरिक मंडलों की बैठक प्रति माह होती थी और प्रत्येक समुदाय को सम्बद्ध स्थल पर जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होती थी। इन मंडलों ने प्राथमिकता वाली समस्याएं तय की, जो समग्र समुदाय से संबंधित थी। समस्या हल करने की शुरूआत कहां से की जाए, यह भी तय किया गया और विकास की रणनीतियों का भी निर्माण किया गया। उदाहरण के तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले आहार की गुणवत्ता, ग्राम स्तर के कर्मचारियों में उत्तरदायित्व का अभाव, आवास की समस्या, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) में भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को 'पंचायत विकास समिति', 'महिला विकास समिति' और 'क्षेत्रीय विकास समिति' ने हाथ में लिया तथा विकासलक्ष्यी रणनीति के बारे में काम किया।

(ख) सूचना की नींव का निर्माण

उपयोगी सूचना प्राप्त करना या स्थापित करना और विश्वसनीय प्रमाण स्थापित करना, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सके, वह सामाजिक उत्तरदायित्व की एक महत्वपूर्ण पहल है। सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में जो प्रयास किए गए, उसमें जागृति बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर लोगों को एकत्र करना और शासन की संस्थाओं में उत्तरदायी बनाने के लिए लोगों से जानकारी एकत्र की गई।

प्रस्तुत सूचना स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि पंचायत व सरकारी विभागों पर लोगों की मांगें स्वीकार करने तथा लोगों के साथ संवाद करने के लिए दबाव पड़े। मध्याह्न भोजन योजना के अमल, ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों की प्रवृत्तियों और बेघर परिवारों के लिए सामुदायिक धरोहरों के सर्जन पर नियमित देखरेख रख कर पंचायत विकास समिति ने सूचना एकत्र की थी।

(ग) लोगों द्वारा कार्य

समस्या का जो मुद्दा है, उसे सभी समझें तथा उस बारे में कुछ करने के लिए लोग सूचना प्राप्त करें तथा प्रोत्साहन प्राप्त करें, तब उसमें कोई नया मोड़ आता है। जो प्रयास किए गए, उन सभी में व्यवस्था तंत्र को प्रतिभावात्मक और उत्तरदायी बनाने के लिए मुद्दों के बारे में हमेशा सभी के साथ परामर्श किया गया। धोळका और साबरकांठा की तहसीलों में पंचायत विकास समिति ने देखरेख के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उन्हें सभी सरकारी अधिकारियों और समुदायों को बताया। उसके कारण लोगों में सकारात्मक छवि बनी। इससे उन्हें सूचना तो मिली ही, साथ ही साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिला।

(घ) जुड़ाव और कड़ियों द्वारा समर्थन प्राप्त करना

सरकारी अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण सहभागियों के साथ भागीदारी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों का एक केन्द्रीय पहलू रहा है, जिससे शासन की संस्थाओं की प्रतिभावात्मकता स्थापित हो। नागरिक मंडलों ने सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें उस प्रक्रिया में शामिल किया और अपने प्रयासों के बारे में उन्हें जानकारी दी। उदाहरण के तौर पर क्षेत्रीय विकास समिति और महिला विकास समिति ने तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ तहसील स्तरीय सामुदायिक हितों पर चर्चा की।

(च) प्रतिभावात्मकता स्थापित करना

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सार्वजनिक अधिकारियों की प्रतिभावात्मकता स्थापित करना था और वास्तविक रूप से परिवर्तन लाना था। अधिकांश नागरिक

मंडलों ने कुछ परिस्थितियों के संदर्भ में ही प्रतिभाव प्राप्त करने का निश्चय किया। इसमें रणनीति यह थी कि सम्बंधित सरकारी विभागों के साथ सीधा संवाद करना और समझौता करना। पंचायत विकास समिति और क्षेत्रीय विकास समिति ने सतत संवाद और परामर्श चालू रखने के लिए उसे संस्थागत स्वरूप दिया है। परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने समझाइश तथा दबाव के लिए अनौपचारिक और औपचारिक कई रास्ते अपनाए।

२. सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाएं

(क) सूचना का आदान-प्रदान

सूचना का आदान-प्रदान करने तथा सम्बंधित अधिकारियों को सम्बद्ध मुद्दों के बारे में आवेदन देने की रणनीति समस्या के निवारण में उपयोगी रही। नियमित देखरेख रख कर पंचायत विकास समिति ने मध्याह्न भोजन योजना के अमल के बारे में सूचना एकत्र की और ग्राम स्तर के कर्मचारियों की प्रवृत्तियों पर नजर रखी।

स्थानीय सामुदायिक धरोहरों की समझ के कारण पंचायत विकास समिति पंचायत को जमीन समतल करने के लिए समझा सकी। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में केरोसिन की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में जानकारी पंचायत विकास समिति ने एकत्र की, जिससे यह समस्या का निवारण लाने के लिए योग्य कदम उठाने का दबाव बनाया जा सका।

(ख) परामर्श

लोग जो मानते हैं उस बारे में सूचना एकत्र करने का एक स्रोत परामर्श है। ग्रामवासी और सरकारी कर्मचारियों के बीच सम्पर्क का ही अभाव था, जो धोळका में पंचायत विकास समिति के लिए बड़ी समस्या थी। अधिकारियों और पंचायत विकास समिति के सदस्यों के बीच परामर्श होने के कारण ग्रामवासियों को उन अधिकारियों की प्राप्यता तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिली। ग्राम स्तर के कर्मचारियों के साथ अधिक अच्छा समन्वय बना। उन्होंने जहां जरूरी हो, वहां समर्थन देना शुरू किया। स्वास्थ्य सुरक्षा के कदम, गांव में सफाई और बच्चों की शिक्षा में उनका समर्थन मिला।

(ग) लॉबिंग

नियमित रूप से स्थानीय अधिकारियों से मिल कर, बैठकों में भाग लेकर और अपना मत उन्हें बताकर नागरिक मंडलों ने शासन की संस्थाओं पर प्रभाव डाला। क्षेत्रीय विकास समिति और महिला विकास समिति ने सेवाओं को प्रतिभावात्मक बनाने के लिए तहसील विकास अधिकारी (टीडीओ) पर दबाव बनाया। इसका अच्छा परिणाम आया। सरकारी कर्मचारियों पर अच्छी सेवा का दबाव डाला गया। योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ।

(घ) सम्पर्क

नागरिक मंडलों ने तहसील विकास अधिकारी और तहसील पंचायत के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आदिवासी उप योजना जैसे मुद्दों पर उनके साथ उन्होंने बैठकें कीं। व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया।

३. शासन की संस्थाओं की प्रतिभावात्मकता

प्रतिभावात्मकता का अर्थ है कि शासन की संस्थाएं लोगों के मत, शिकायत और सुझावों पर कितना ध्यान देती है और उसके आधार पर अपने ढांचे में, अपनी कार्यशैली में और सेवाओं की आपूर्ति के तरीके में कितना फेरबदल करती हैं। सरकारी अधिकारियों को प्रतिभावात्मक बनाने तथा परिवर्तन लाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पंचायत विकास समिति द्वारा इसके लिए जो तरीके अपनाए गए, वे अधिकांशतः कुछ परिस्थितियों के लिए अनुकूलता पैदा करने वाले अवसर देख कर अपनाए गए थे। सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों से सीधे सम्पर्क कर उनके साथ संवाद करने की रणनीति अपनाई गई।

उदाहरण के तौर पर तहसील विकास अधिकारी के साथ सीधी चर्चा की गई, तो वे सेवा देने सम्बंधी और प्राथमिकताओं के बारे में परामर्श करने को तैयार हुए। सीधा संवाद किया गया, जिससे ऐसा संस्थागत स्वरूप स्थापित हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के कार्य लोगों को जानने को मिले। उदाहरण के तौर पर गांव स्तर के सरकारी कर्मचारियों से परामर्श करने से समुदाय के लिए अनुकूलता पैदा हुई। शिक्षक नियमित बने, एएनएम भी नियमित बने। राशन की दुकान से निर्धारित समय पर वस्तुएं बिकने लगीं। गांव स्तर की देखरेख की इस सफलता ने धोळका तहसील में एक मिसाल स्थापित की। अन्य पंचायतें भी ऐसा ही बोर्ड लगाने पर विचार कर रही हैं।

सामाजिक उत्तरदायित्वः
सफलता के लिए महत्वपूर्ण परिबल

सामाजिक उत्तरदायित्व के ये प्रयास सम्बंधित समय की परिस्थितियों के संदर्भ में किए गए। इसीलिए उनकी सफलता अनेक परिबलों पर आधारित थी। इनमें से कुछ परिबलों की चर्चा नीचे की गई है:

१. 'उन्नति' का हस्तक्षेप/प्रोजेक्ट

उन्नति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक समाज निर्माण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसके अंतर्गत नागरिक मंडलों तथा नागरिक नेतृत्व को मजबूत करने का निश्चय किया गया और इससे 'पंचायत विकास समिति', 'क्षेत्रीय विकास समिति' एवं 'महिला विकास समिति' का गठन किया गया। विकास की प्रक्रिया में पिछड़े लोगों की सहभागिता बढ़ाने तथा बुनियादी सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए नागरिक मंडलों और नागरिक नेताओं को मज़बूत करने का ध्येय रखा गया।

इसका यह भी उद्देश्य था कि पिछड़े लोग राजनीतिक रूप से सक्षम बनें एवं निर्णय प्रक्रिया में उनका समावेश हो तथा उनकी सहभागिता बढ़े यह भी इसका उद्देश्य था। ये हस्तक्षेप २००३-०६ के दौरान हुए थे। पूर्व में उनका सम्पर्क मात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही था। नागरिकों को केन्द्र में रख कर काम करने की शुरूआत २००२ में हुई। लगभग इस समय ही पंचायत विकास समिति जैसा नागरिक मंडल गठित करने का विचार आया।

२. 'उन्नति' का क्षमता निर्माण के लिए समर्थन

नागरिकों के मंडलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। सूचना, दृष्टिकोण, विकास तथा कौशल्य विकास इन तीनों का उसमें संयोजन किया गया। समूह निर्माण, नेतृत्व और अंतरवैयक्तिक कौशल्य विकास जैसे मसलों को लेकर उन्हें अभिमुख किया गया। ग्राम पंचायत के कार्य, पंचायत अधिनियम, अनुदान और योजनाओं आदि मसलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ध्यान दिया गया, जिससे स्थानीय शासन के बारे में दृष्टिकोण स्थापित हुए।

नागरिक नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पंचायत के विकास की जरूरतों की पहचान करने के लिए तथा ग्राम सभा में मुद्दे उठाने के लिए तालीम दी गई। उन्हें तहसील पंचायत, जिला पंचायत और विविध विभागों के बारे में सूचना दी गई। जो सरकारी अधिकारी जिस कार्य का प्रभार संभालें, उस काम के बारे में ही सीधा मुद्दा उनके समक्ष उठाया जाए, तो तेजी से हल आता है।

३. 'उन्नति' का प्रत्यक्ष समर्थन

पंचायत विकास समिति की मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए 'उन्नति' ने समर्थन दिया। उन्हें सूचना भी दी गई। तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष मुद्दे उठाने का साहस इससे बढ़ा। इससे उनके प्रति आदर का माहौल पैदा हुआ। उन्हें सुना जाने लगा और बिल्कुल सामान्य लगने वाले सवालों को लेकर भी उनकी व्यावहारिक कुंजी उन्हें मिली, जैसे विकासोन्मुख योजनाओं या ग्राम स्तर के कर्मचारियों पर निगरानी कैसे रखना।

४. नागरिक मंडलों का नेटवर्क

पंचायत विकास समिति के नेटवर्क के कारण भी उत्तरदायित्व स्थापित हुआ। प्रत्येक तहसील में 'क्षेत्रीय विकास समिति' स्थापित की गई, जिससे वह तहसील स्तर पर काम कर सके। इसके परिणामस्वरूप लोगों की आवाज़ मजबूत हुई और प्रत्येक पंचायत विकास समिति भी मजबूत हुई। तमाम १० पंचायत विकास समितियों में से प्रत्येक में से दो-तीन सदस्यों को लेकर क्षेत्रीय विकास समिति का गठन किया गया। तहसील स्तर पर क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा लॉबिंग हुआ और इसके परिणामस्वरूप फायदा हुआ। सरकारी कर्मचारियों पर सेवाओं की आपूर्ति के लिए दबाव बना और योजनाओं का अमल हुआ।

५. राज्य तथा नागरिक समाज के बीच समन्वय

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों की सफलता राज्य व नागरिक समाज के बीच जितनी प्रभावी अंतरक्रिया होती है, उस पर आधारित है। केस स्टडीज से प्रस्थापित होता है कि तहसील विकास अधिकारी ने नागरिक मंडलों के प्रयासों का समर्थन किया है। क्षेत्रीय विकास समिति ने तहसील विकास अधिकारी के साथ विकास समिति की प्रवृत्तियों व योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तहसील विकास अधिकारी ने पंचायत विकास समिति के साथ सम्पर्क में रहने और समस्याओं का तत्काल हल लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया।

६. संस्थाकरण

जब सामाजिक उत्तरदायित्व वाली व्यवस्थाओं को संस्थागत स्वरूप

दिया जाता है, तब इसके प्रयासों का प्रभाव सबसे ज्यादा और सबसे टिकाऊ होता है। नागरिक समाज तथा शासन की संस्थाओं द्वारा यह काम पद्धतिपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पंचायत विकास समिति ने गांव के प्रवेश द्वार पर सभी सरकारी कर्मचारियों के आने-जाने पर बोर्ड पर हस्ताक्षर करने और समय-तारीख लिखने की बात को संस्थागत स्वरूप दिया। इसका तो उन्होंने नियम ही बना दिया।

प्रस्तुत मुद्दे

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों को लेकर उपरोक्त चर्चा से हम कुछ सबक ले सकते हैं। इससे नागरिक मंडलों के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों को मज़बूत बनाने के रास्ते के बारे में समझ मजबूत बनेगी और पिछड़े नागरिकों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई भी मज़बूत बनती है।

१. राजनीतिक संस्कार

विकेन्द्रित लोकतंत्र, कार्यगत सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक जनहित को मूल्यवान मानने वाले राजनीतिक या प्रशासनिक संस्कार और राजनीतिक सहभागिता का माहौल आदि नागरिक समाज के किसी भी प्रकार की कर्मशीलता के लिए महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें हैं। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में हाल में जो रुझान दिखाई देते हैं, वे स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण सम्बंधी हैं और पिछड़े तथा गरीब लोगों की राजनीतिक सहभागिता के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए हैं। उन्होंने ही नागरिक मंडलों के शासन की संस्था के साथ सम्पर्क में आने वाला माहौल तैयार किया है।

२. समावेशी नागरिकता

नागरिक मंडलों ने शासन की संस्थाओं प्रतिभावात्मक बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियां और दृष्टिकोण अपनाए। नागरिकता की व्याख्या तैयार करने की नई भूमिका प्रदान की है। सेवाएं प्राप्त करने के अधिकार और न्याय सम्बंधी नागरिकों की चिंताओं को इन मंडलों ने आवाज दी। अधिकारों को जब वाणी दी जाती है, तो नागरिकता का जितना क्षरण हुआ है, उसकी जानकारी मिलती है। वे उनके सीमांतीकरण का विरोध करते हैं और साथ ही साथ विकासोन्मुख कार्यक्रमों में उन्हें योग्य हिस्सा दिलाने की उनकी मांग प्रस्तुत करते हैं।

३. सक्रिय नागरिकता

नागरिकता वास्तव में जिस तरह लागू होती है या उससे इनकार किया जाता है या वह जिस तरह लागू होती है, उसके आधार पर नागरिकों के साथ सम्बंध रखने वाले मसलों के खिलाफ प्रतिभावात्मकता पैदा होती है। केस स्टडी दर्शाती है कि नागरिक मंडलों के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयास अधिक बेहतर शासन, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार तथा विकास के अधिक प्रयासों की ओर ले जाते हैं।

नागरिक मंडलों ने समुदाय के कल्याण के सम्बंध में निर्णयों के बारे में सक्रिय भूमिका निभाई है। केस स्टडी दर्शाती है कि पंचायत विकास समिति के अभिप्राय समुदाय स्तर की बैठकों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने पंचायतों और राज्य की संस्थाओं को विविध मुद्दों के प्रति प्रतिभावात्मक बनने को बाध्य किया है। ऐसा करके उन्होंने गांव की प्राथमिकताएं नए सिरे से तय की है।

४. मध्यस्थता

नागरिक अपना क्षेत्र तय कर तथा हिमायत कर और परिवर्तन लाकर अपनी सक्रिय व समावेशी नागरिकता तय कर सकते हैं। आवाज़ उठाने के बारे में नागरिक समाज के कर्ताओं की क्षमता प्रमुख परिबल बनती है। नागरिक मंडलों के संगठन का कौशल्य, नागरिकों को सक्रिय बनाने की उनकी क्षमता, उनकी जन-स्वीकृति और प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता, अपने सदस्यों के प्रति उनकी प्रतिभावात्मकता और उसका उत्तरदायित्व आदि तमाम मसले आवाज़ उठाने के विषय में महत्वपूर्ण बनते हैं। नागरिक मंडलों सक्षम बनाने तथा उनकी क्षमता निर्माण करने के प्रयास संगठनात्मक व तकनीकी स्तर पर अनिवार्य हैं।

केस स्टडी स्पष्ट दर्शाती है कि 'उन्नति' ने उन्हें एक समूह के रूप मे देखा। इससे पिछड़े लोगों की आवाज़ प्रभावी बन सकी है। उन्होंने नागरिकों से सम्बंधित मसलों को आवाज़ दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा शासन की संस्थाओं के समक्ष उनकी आवाज़ पेश की। प्रत्येक नागरिक मंडल को प्रशिक्षण दिया गया, नियमित रूप से उनकी बैठकें हुईं, नागरिकों को केन्द्र में रख कर बैठकें हुईं तथा कार्यशालाएं हुईं, अभियान चलाया गया और नेटवर्क बनाया गया।

५. शासन की संस्थाओं के साथ सम्बंध

अधिकार, नागरिकता, सहभागिता व शासन के मुद्दों के आधार पर शासन की राजनीतिक संस्थाओं के साथ सम्पर्क तय हुआ। नीतियां नए सिरे से तय हुईं और शासन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के लिए ही उन्होंने शासन की संस्थाओं को चुनौती दी।

६. सामाजिक पूंजी और सार्वजनिक कार्य

सुशासन स्थापित करने में सामाजिक पूंजी की प्रासंगिकता पंचायत विकास समिति, क्षेत्रीय विकास समिति और महिला विकास समिति के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों से स्पष्ट होती है। नागरिक मंडलों ने समुदाय के साथ उनके सम्बंधों को मजबूत बना कर सामाजिक पूंजी के निर्माण में योगदान दिया है। समुदाय के सदस्य किसी ऐसे सार्वजनिक मुद्दे पर एकत्र हों, जो बुनियादी सेवा की विफलता से जुड़ा हो या अधिकारों की रक्षा की विफलता से सम्बंधित हो।

नागरिक मंडल का गठन और उसके सदस्य पद पर नागरिकों की अपनी एक अलग प्रकार की पहचान स्थापित हुई है। समस्याओं को लेकर जागृति आई, नागरिकों की जरूरतों को लेकर सूचना एकत्र की गई तथा उसका आदान-प्रदान किया गया, सेवाओं सम्बंधी शिकायतें एकत्र की गईं और सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के प्रयास हुए, जिससे ये सम्बंध अधिक मजबूत हुए।

७. वास्तविक नेतृत्व की भूमिका

नागरिक मंडलों ने गांव तथा समुदाय में वास्तविक नेतृत्व की भूमिका निभाई। समस्याएं सफलतापूर्वक हल हुईं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पंचायत विकास समिति ने भविष्य की जो योजनाएं तैयार की हैं, उनमें ही उनका आत्मविश्वास झलकता है। वह समुदाय आधारित अनेक प्रवृत्तियां शुरू करना चाहती है।

नागरिक मंडलों ने नियमित रूप से बैठकें बुलाईं और अनुभवों का समुदायों के साथ आदान-प्रदान किया, जिससे वे समुदाय की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बने। उनके बीच परस्पर समझदारी आई और आदान-प्रदान हुआ, जिससे उनके बीच की एकता मजबूत हुई। वे समुदायों के अधिकारों को लेकर बातचीत करते हैं, अधिकारों के दावे दर्ज कराते हैं और शासन पर प्रभाव डालने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों के साथ सम्पर्क रखते हैं। सतत लगे रहने से और पंचायतों के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण करने से वे सफलता प्राप्त कर सके हैं।

पृष्ठ 31 का शेष

स्थापित करना।

(३) सहभागी प्रशिक्षण के संचालन के लिए विकासोन्मुख कार्यकर्ताओं की क्षमता, जानकारी, दृष्टिकोण और कौशल्य का विकास करना।

इस तालीम में निम्नानुसार विषयों का समावेश किया जाएगा:

(१) दलितों, महिलाओं व विकलांगों जैसे संवेदनशील वर्गों के साथ काम करने के लिए अपेक्षित मनोवृत्ति, व्यवहार और कौशल्य विकास।

(२) सहभागी प्रशिक्षण के आयोजन के लिए सैद्धांतिक ढांचा। प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांतों, सहभागी प्रशिक्षण के सिद्धांतों और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण की रणनीति।

(३) समूह प्रक्रियाओं, समूह की गतिशीलता तथा छोटे समूहों का संचालन।

(४) स्व-विकास तथा प्रशिक्षकों की भूमिका।

(५) प्रशिक्षण के लिए डिजाइन तैयार करना, उपयोगी पद्धति का उपयोग करना और प्रशिक्षण का संचालन करना।

इस तालीम में गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के विकासोन्मुख कार्यकर्ता भाग ले सकेंगे। यह पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो सामाजिक विकास के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं तथा प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव रखते हैं। यह प्रशिक्षण हिन्दी व गुजराती भाषा में दिया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री हिन्दी व गुजराती तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रशिक्षण के लिए कुल २४ सहभागियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क १००० रुपए है। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख ३१ अगस्त, २००८ है। उन्नति की वेबसाइट unnati.org पर से पंजीकरण पत्र तथा परिपत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण संयोजक: उन्नति।

गतिविधियाँ

एससी और एसटी के लिए शिक्षा की योजनाएंः कैग की रिपोर्ट

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा क्षेत्र के विकास के २००७ के कामकाज का ऑडिट जारी किया गया है। इस ऑडिट में भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति व्यापक प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या है, उस पर प्रकाश डाला गया है। इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष भी कैग द्वारा निकाले गए हैं और ये नीतिगत शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। २००१ की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की आबादी १६.२ प्रतिशत और जनजातियों की आबादी ८.२ प्रतिशत है। जनगणना के अनुसार उनकी साक्षरता दर क्रमशः ५५ व ४७ प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत ६५ प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा इन दोनों समूहों में शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनका उद्देश्य यह रहा है कि बच्चे स्कूल में बने रहें तथा बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटे। सरकार की इन योजनाओं या कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति, छात्रालयों और स्कूलों का निर्माण, बुक बैंक स्थापित करना, विशिष्ट अध्यापन, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान आदि का समावेश होता है। अधिकांशतः कोष का अपर्याप्त उपयोग, विभिन्न राज्यों द्वारा पर्याप्त लाभ न प्राप्त करना, कोष जारी करने में असंतुलन और विलम्ब तथा कोष का अन्यत्र उपयोग आदि जैसी समस्याएं इस प्रकार की योजनाओं में दिखती हैं। शैक्षणिक विकास के लिए दो निर्देशक हैंः कुल पंजीयन दर (जीईआर) और कुल ड्रॉपआउट रेट (जीडीआर)। उपरोक्त दोनों समूहों के लिए ये दोनों निर्देशक अच्छे नहीं हैं। जीडीआर में अन्य समूह और इन दोनों समूहों के बीच का अंतर २००१-०२ में ६.७ प्रतिशत और १५.१ प्रतिशत है, जो २००३-०४ में अधिक खराब होकर १०.४ व १६.६ प्रतिशत हो गया।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लड़कों व लड़कियों दोनों में २००१-०२ की तुलना में २००३-०४ में कुल पंजीयन प्रमाण घटा है। इतना ही नहीं अनेक राज्यों में अनुसूचित जातियों के लड़के-लड़कियों में स्कूल बीच में छोड़ने का प्रमाण २००१-०२ की तुलना में २००३-०४ में बढ़ा है। कैग का निष्कर्ष है कि शिक्षा सम्बंधी योजनाओं का क्रियान्वयन दोनों मंत्रालयों द्वारा संतोषजनक ढंग से नहीं होता है। अवास्तविक बजट बनाया जाता है, कोष का उपयोग होता नहीं है, केन्द्र जो धन जारी करता है, उसमें राज्यों के बीच अंतर है, केन्द्र की सहायता नहीं मिलती है, कोष अन्यत्र मोड़ दिया जाता है आदि जैसी समस्याओं का उल्लेख कैग द्वारा उसकी रिपोर्ट में किया गया है। एसएससी से पहले की छात्रवृत्ति की योजना में लाभार्थी कम हैं, अयोग्य लाभार्थियों को सहायता दी जाती है, छात्रवृत्ति भुगतान में विलम्ब होता है, लाभार्थियों का उचित चयन नहीं होता आदि समस्याएं दिखाई दी हैं। आदिवासी क्षेत्र में अनेक मामलों में स्कूलों का निर्माण विलम्बित हुआ और राज्य सरकारों द्वारा उसे प्राथमिकता नहीं दी गई। इसी प्रकार बुक बैंक योजना के तहत बुक बैंक की स्थापना ही नहीं हुई, कई स्थानों पर पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, गलत पुस्तकें खरीदी गईं तथा खरीदारी में विलम्ब हुआ। एससी व एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रालयों की योजना में निर्माण में विलम्ब हुआ, सुविधाओं का अभाव रहा और सुविधाओं का उपयोग नहीं हुआ।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी कुछ योजनाओं का अमल किया जाता था, परंतु जो गैर-सरकारी संगठन काली सूची में डाले गए थे, उनके पास से कोष वसूला नहीं गया और सरकार ने जो शर्तें अनुदान के लिए रखी थीं, उन शर्तों का पालन उन्होंने नहीं किया। अनेक सरकारी योजनाओं में निगरानी का ही अभाव था। निगरानी के उद्देश्य के लिए दो में से एक भी मंत्रालय ने लाभार्थियों की सूचना एकत्र नहीं की थी। पद्धतिपूर्ण निरीक्षण नहीं किया गया तथा राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार ने स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी नहीं किया। केन्द्र स्तर पर योजनाओं का आंतरिक अन्वेषण नहीं किया गया और कई राज्यों में भी ऐसा ही हुआः शिक्षा क्षेत्र खासकर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कैग द्वारा निम्न

प्रकाश आम्टे व मंदाकिनी आम्टे को मैग्सेसे पुरस्कार

महाराष्ट्र के एक सुदूर आदिवासी गांव में आदिवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए अपना योगदान देने के लिए डॉ. प्रकाश आम्टे और उनकी पत्नी डॉ. मंदाकिनी आम्टे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। चिकित्सा सुरक्षा तथा शिक्षा द्वारा मादिया गोंड जाति के आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिए वे महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में गढचिरौली जिले में हेमालक्सा नामक सुदूर गांव में एक स्कूल और अस्पताल चलाते हैं। हेमालक्सा गांव में वे जो अस्पताल चलाते हैं, वह ४० बिस्तरों वाला है। इसमें हर वर्ष लगभग ४० हजार मरीज उपचार लेते हैं। उनकी ओर से स्थापित स्कूल से गोंड जाति में ५ डॉक्टर बने हैं और वे भी उनके इस काम में साथ देते हैं। प्रकाश आम्टे के पिता बाबा आम्टे भी एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने अपने आनंदवन आश्रम में रक्तपित्त के मरीजों की उपचार के लिए समग्र जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें भी १९८५ में जनसेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रकाश व मंदाकिनी आम्टे के दो पुत्र दिगंत व अनिकेत भी डॉक्टर हैं और वे भी उनके पिता की राह पर चल कर जनसेवा कर रहे हैं। प्रकाश आम्टे तथा मंदाकिनी आम्टे हर माह मानद वेतन के रूप में मात्र २००० रुपए प्राप्त करते हैं और इसीलिए गत वर्ष अमरीकी कॉन्स्युलेट ने उन्हें वीजा देने से इनकार किया था। हालांकि दूसरे ही दिन उनसे फोन पर माफी मांगी गई और उन्हें १० वर्ष का वीसा दिया गया।

श्री राजेश टंडन को मानद् सेवा उपाधि

कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया स्थित विक्टोरिया युनिवर्सिटी की सीनेट द्वारा श्री राजेश टंडन की ५ जून, २००८ को कानून शाखा में डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद् उपाधि प्रदान की गई है। युनिवर्सिटी के प्रमुख तथा उप कुलपति डॉ. डेविड टुरपिन द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई। प्रख्यात सितारवादक श्री रविशंकर के बाद यह उपाधि प्राप्त करने वाले श्री राजेश टंडन दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने पिछले २६ वर्षों से नागरिकों की सहभागिता, शासन और समुदाय आधारित अनुसंधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिफारिशें की गई हैं:

१. एससी व एसटी की शैक्षणिक योजनाओं के वित्तीय संचालन तथा नियंत्रण को मज़बूत करना चाहिए। इसके कोष का उपयोग हो, उपयोग नहीं की जा सकी रकम खर्च हो और कोष अन्य उपयोग में न लिया जाए आदि मसलों का ध्यान रखना चाहिए।

२. कोष के आवंटन में राज्यों के बीच जो अंतर दिखाई पड़ता है, उसे दूर होना चाहिए और राज्य सरकारों की निष्क्रियता दूर करनी चाहिए।

३. लाभ कम दिए जाएं, देरी से दिए जाएं और नहीं दिए जाएं, इसके कारण खोज निकालने चाहिए तथा सुधार के कदम उठाने चाहिए।

४. लाभार्थियों के चयन व बुक बैंक की स्थापना आदि की पद्धति में सुधार करना चाहिए तथा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अयोग्य व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलें, अतिरिक्त भुगतान न हो तथा बेकार व पुरानी पुस्तकें नहीं खरीदी जाएं।

५. छात्रालयों में शौचालय, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। वहां पर्याप्त स्टाफ भी होना चाहिए। विशेष शिक्षा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी है।

६. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं का जो अमल होता है, उसकी समीक्षा करना जरूरी है, जिससे कोष का दुरुपयोग न हो और जिन तक लाभ पहुंचना चाहिए, उन तक लाभ पहुंचे।

कोस्टल मैनेजमेंट जोन सम्बंधी अधिसूचना पर विचार-विमर्श

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा १ मई, २००८ को एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया है। यह मसौदा देश भर में कोस्टल मैनेजमेंट जोन (सीएमजेड) की स्थापना करने के लिए जारी किया गया है। पूर्व में १९ फरवरी, १९९१ को कोस्टल

स्व. मधुरा पंडित

'इरमा' से १९९९-२००० के बैच की स्नातक मधुरा पंडित का १.५.२००८ को एक सड़क दुर्घटना में अवसान हो गया। उन्होंने २०००-०४ के दौरान 'उन्नति' में सर्वप्रथम जयपुर में ग्रामीण शासन में व बाद में भचाऊ में आपदा संचालन कार्यक्रम में एवं आखिर में अहमदाबाद में गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट में कौमवाद के मुद्दे पर कार्य किया था। वे संनिष्ठ, प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील व्यक्ति थी। 'उन्नति' के सभी कार्यकर्ता मित्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विवाह के बाद वे 'प्रेक्सिस', नई दिल्ली में कार्य करती थी। 'प्रेक्सिस' द्वारा उनकी स्मृति में मधुरा पंडित छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। इसमें सहभागी विकस के एन्युअल कोम्युन में सहभागी होने वाले की फीस दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: ईमेलः www.theworkshop.in

रेग्युलेशन जोन बनाने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके बदले अब सीएमजेड की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना का मसौदा जारी कर उसके बारे में दो माह की अवधि में आपत्तियां-सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं की मांग पर आपत्ति-सुझाव पेश करने का समय और दो माह बढ़ाया गया है। इस प्रकार इस मसौदे के खिलाफ अब सितम्बर-०८ तक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष आपत्ति-सुझाव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने जुलाई-२००४ में देश के समुद्र तट क्षेत्रों का निरंतर विकास करने व उनक क्षेत्रों के संसाधनों का जतन करने के उद्देश्य से सुझाव प्राप्ति के लिए प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसमें जो सिफारिशें की गईं, उसके आधार पर इस अधिसूचना का मसौदा तैयार किया गया है। गैर-सरकारी संगठन मानते हैं कि यह मसौदा ऐसे सीएमेड की स्थापना करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र तट के क्षेत्रों के पर्यावरण को नुकसान होगा एवं मछुआरों और किसानों सहित सामान्य लोगों के जीवन निर्वाह पर विपरीत प्रभाव होगा। इस सम्बंध में देश भर में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। मसौदे में कहा गया है कि कोस्टल रेग्युलेशन जोन की बजाए अब सीएमजेड की स्थापना होगी। आपत्तियां व सुझाव इस पते पर भेजे जा सकते हैं: सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। ई-मेलः secy:@menf.nic.in अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें: सेंटल फॉर एन्वायर्नमेंट एज्युकेशन, फोनः ०७९-२६८४४२५, २६८५८००२-५, ई-मेलः pramod.sharma@ceeindia.org

खाद्य अधिकार

गुजरात उच्च न्यायालय ने खाद्य अधिकार के मामले की सुनवाई ७ अगस्त, २००८ को हाथ में ली। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्वारा दायर याचिका पर जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए, उसके जवाब में राज्य सरकार ने अपनी कैफियतें प्रस्तुत की हैं। सीएसजे द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि राशन की दुकानें हल्की गुणवत्ता वाले गेहूं की आपूर्ति करती हैं, सरकार की बीपीएल सूची और राशन कार्ड की संख्या मेल नहीं खाती, लाभार्थियों को ३५ किलोग्राम अनाज दिया जाना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के आदेश व योजनाओं को पर्याप्त प्रचार मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा है कि वह बीपीएल लाभार्थियों को ३५ किलो अनाज की आपूर्ति नहीं करती है, क्योंकि भारत सरकार ३५ लाख लाभार्थियों के लिए पर्याप्त अनाज भंडार नहीं देती। मामले की सुनवाई १ सितम्बर, २००८ को तय की गई है और उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को भी पक्षकार के रूप में जोड़ने का आदेश दिया है।

भावी कार्यक्रम

प्रशिक्षकों की क्षमता वर्धन के लिए सहभागी प्रशिक्षण

'उन्नति' विकास शिक्षा संगठन द्वारा निम्न उद्देश्यों के साथ प्रशिक्षकों की क्षमता वर्धन की एक सहभागी तालीम का आयोजन १३ से १७ अक्टूबर, २००८ के दौरान कच्छ के भचाऊ में किया गया है:

(१) विकासोन्मुख मुद्दों पर दृष्टिकोण विकास।

(२) सहभागियों की सहभागी प्रशिक्षण विभावना सम्बंधी अभिमुखता

शेष पृष्ठ 28 पर

संदर्भ सामग्री

कोस्टल मैनेजमेंट ज़ोन अधिसूचना

कोस्टल रेग्युलेशन ज़ोन की जगह देश में कोस्टल मैनेजमेंट जोन की स्थापना के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। १ मई, २००८ को जारी इस मसौदे में सरकार जिन उद्देश्यों के साथ कोस्टल मैनेजमेंट जोन स्थापित करना चाहती है, उसका विवरण दिया गया है। इसमें उसके उद्देश्य दर्शाए गए हैं और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जोन के संचालन की रणनीति किस प्रकार की होगी। इस पुस्तक में उसका विवरण दिया गया है तथा साथ ही साथ उसके समुद्र तट के मछुआरों, किसानों व अन्य लोगों पर जो प्रभाव पड़ सकते हैं, उनका विवरण भी दिया गया है। सरकार ने इस मसौदे पर आपत्तियां मांगी हैं। इसीलिए इस पुस्तक में आपत्तियों के मुद्दों को भी प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में सीआरजेड और सीएमजेड के बीच तुलना की गई है तथा सीएमजेड का अमल करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। समग्र अधिसूचना के मसौदे की प्रति भी इसमें दी गई है और उसकी एक-एक बात पर जो आपत्तियां हो सकती हैं, उनके बारे में विवरण दिया गया है। मूलभूत मुद्दा यह है कि यदि कोस्टल

मैनेजमेंट जोन की स्थापना की जाए, तो समुद्र तट के सामान्य लोगों के जीवन निर्वाह पर विपरीत असर हो सकता है, क्योंकि कोस्टल रेग्युलेशन जोन के प्रावधानों का भी पर्याप्त अमल किया गया हो, ऐसा अनुभवों से लगता नहीं है।

लेखक: आरती श्रीधर, सुदर्शन रोड्रिग्ज, सीमा शिनॉय और मंजू मेनन। प्राप्ति स्थान: अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड द एन्वायर्नमेंट, ६५९, पांचवां मेन रोड, हेबल, बेंगलूरू-५६० ०९२.

सायको-सोशल केयर इन डिजास्टर रिस्पॉन्स

इस पुस्तक में आपदा व उसके प्रभाव के बारे में समझ, विपत्ति से

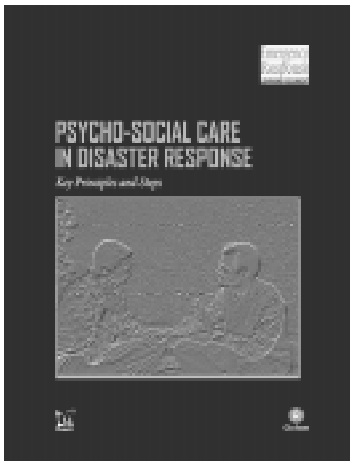

बच जाने वाले जो सर्वसामान्य प्रतिक्रिया देते हैं वह, मानसिक-सामाजिक सुरक्षा का महत्व व उसके सिद्धांत, मानसिक-सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी पद्धतियां, मानसिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करना और विशेष समूहों के लिए सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। पुस्तक में अंत में इस सम्बंध में और साहित्य की सूचियां दर्शाते दो परिशिष्ट भी दिए गए हैं। निमहान्स, सहयोग देने वाली अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं, समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं व विविध आपदाओं से बच जाने वाले लोगों के प्रतिभावों के आधार पर यह पुस्तक तैयार की गई है। यह एक मार्गदर्शिका है, जिसका उपयोग विपत्तियों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले कर्मशील कर सकते हैं। प्राप्ति स्थान: उन्नति।

इंटरमीडिएट सेमी-पर्मानेंट शेल्टर्स

इस पुस्तक में विपत्ति आने के बाद व पुनर्वास से पहले जिस प्रकार के पुनर्स्थापन की जरूर पड़ती है, उसमें जिस प्रकार के निर्माण करने चाहिए, जिससे प्रभावित आसानी से रह सकें, इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि विपत्ति के बाद पुनर्निर्माण सम्बंधी दृष्टिकोण तथा उसका मानस बदलने की जरूरत है। पुस्तक में कश्मीर के भूकम्प के बाद की केस स्टडी दी गई है और जो सबक सीखने को मिले हैं, उसकी जानकारी भी दी गई है। प्राप्ति स्थान: 'उन्नति'।

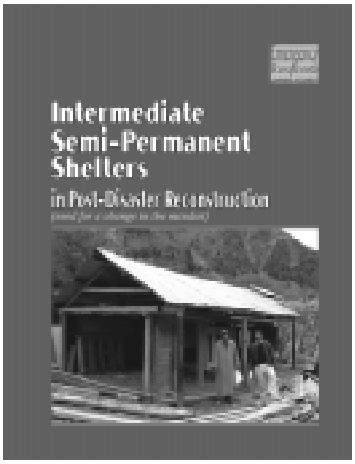

पिछले चार माह के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां की गईं:

१. नागरिक नेतृत्व और शासन

(क) सामाजिक अंकेक्षण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अमल में पंचायतों का प्रभाव स्थापित करने के लिए गत वर्ष कई प्रवृत्तियां की गईं। इसमें साबरकांठा जिले की खेडब्रह्मा तहसील की पांच ग्राम पंचायतों में सतर्कता व निगरानी समिति के सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन तथा समुदाय में जागृति फैलाने का कार्य शामिल है। इसके तहत सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इस अनुभव के आधार पर अंग्रेज़ी भाषा में एक मैन्युअल तैयार किया गया तथा वह राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया। इसके बाद इस विभाग के आग्रह से इस अधिनियम के बारे में सौराष्ट्र के सात जिलों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित लगभग ३००० लोगों को अभिमुख किया गया। इसमें सम्बद्ध डीआरडीए का सहयोग भी लिया गया। इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए, उनमें अधिनियम के मुख्य प्रावधान, प्रवृत्तियों के आयोजन की प्रक्रिया तथा सामाजिक अंकेक्षण की उपयोगिता और कार्यवाही शामिल थी। डांग जिले में भी ऐसा ही एक दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के ३५ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी के बारे में जोधपुर जिले की लूणी तहसील की १० ग्राम पंचायतों में जागृति अभियान चलाया गया। इस अधिनियम के अमल व उस पर निगरानी के लिए नागरिक नेताओं के संसाधन समूहों का गठन किया गया तथा उनकी क्षमता वर्धन के लिए प्रयास किया गया।

(ख) नागरिक नेताओं की क्षमता वर्धन

पिछले दस वर्ष से साबरकांठा जिले की ५० ग्राम पंचायतों और अहमदाबाद जिले की ३० ग्राम पंचायतों में नागरिक नेताओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्राम स्तर पर शासन की व्यवस्था अधिक पारदर्शी तथा उत्तरदायी बने। वे बुनियादी सेवाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करें, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व सूचना अधिकार अधिनियम का अमल व उपयोग हो, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय विकास की समस्याओं और खासकर निःसहाय समूहों की समस्याओं को लेकर हिमायत भी की जा रही है। दलितों को घरेलू भूखंड मिले तथा उन्हें श्मशान की जगह मिले, इसके लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना के तहत कोष का आवंटन किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मार्फत योग्य प्रमाण में सेवाएं प्राप्त हों, इस प्रकार के विकासोन्मुख प्रश्नों के लिए यह हिमायत की जा रही है। इस समयावधि के दौरान अहमदाबाद जिले की धोळका व दसक्रोई तहसीलों और साबरकांठा जिले की खेडब्रह्मा तहसील के ५१ पुरुष और २० महिला नागरिक नेताओं को उपरोक्त दोनों कानूनों के अमल के विभिन्न पहलुओं के बारे में अभिमुख किया गया।

पिछले तीन वर्ष से अन्य गैर-सरकारी संगठन उनकी वर्तमान प्रवृत्तियों में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों के मुद्दों को शामिल करने के लिए सक्षम बनाने के लिए नागरिकता व शासन सम्बंधी प्रशिक्षकों की तालीम आयोजित की जाती है। इस अवधि के दौरान गुजरात के १० गैर-सरकारी संगठनों के ११ महिला व १० पुरुष प्रतिनिधियों को इस विषय के बारे में तीन दिवसीय तालीम दी गई।

(ग) पंचायत संदर्भ केन्द्र

हाल में अहमदाबाद जिले में दसक्रोई व धोळका तहसीलों तथा साबरकांठा जिले में खेडब्रह्मा तहसील में पंचायत संदर्भ केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों की मार्फत १५ महिलाओं और दलितों के नेतृत्व वाली पंचायतों को सूचना का समर्थन दिया गया, जिससे वे रोजमर्रा की अपनी प्रवृत्तियां करने के लिए सक्षम बनें। नागरिक नेताओं की तालीम के बाद पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा धोळका, दसक्रोई व खेडब्रह्मा तहसीलों में उपरोक्त दोनों कानूनों के बारे में ७ शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में १९४ महिलाओं और १२८ पुरुषों ने भाग लिया।

इसमें खेल और फिल्मों द्वारा सूचना दी गई। इसके परिणामतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत परिवारों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है और नागरिक नेता अब कामकाज पर देखरेख रखने लगे हैं।

(घ) निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन

जोधपुर जिले के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन सम्बंधी यूएनडीपी-भारत सरकार-राजस्थान सरकार के एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में एक दिवसीय एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह प्रोजेक्ट २००४-०८ के दौरान राजस्थान में जोधपुर जिले में ९ तहसील पंचायतों में ९२ ग्राम पंचायतों में अमल में था। महत्वपूर्ण सबक यह सीखने को मिला है कि पंचायत संदर्भ केन्द्र क्षमता वर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रभावी साधन बनते हैं। इससे इस प्रवृत्ति का अधिक विकास करने के लिए रणनीति बनाना जरूरी है। हर पांच वर्ष में चुनाव होते हैं, तब क्षमतावर्धन के लिए विविध साधनों द्वारा किए गए प्रयास उपयोगी साबित हो सकते हैं। यूएनडीपी के समर्थन से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी ने जयपुर की आईजीपीआरएस और 'उन्नति' को पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता-वर्धन के लिए निमंत्रण दिया है। इसमें मल्टीमोड तालीम देने और सूचना का प्रसार करने तथा तमाम प्रतिनिधियों को तालीम देने और हार्डवेयर मैपिंग का प्रावधान है। इसके तहत 'स्वराज अपडेट' नामक एक बुलेटिन हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया जाता है व राज्य की तमाम पंचायतों को भेजा जाता है।

(च) शहरी शासन

गुजरात में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन के तहत सरकारी विभागों व नागरिक समाज के संगठनों के साथ अहमदाबाद एवं राजकोट में इस योजना का प्रभावी अमल करने के लिए सिटी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप (सीटीएजी) और सिटी वॉल्युंटरी टेक्निकल कोर्प्स (सीवीटीसी) का गठन करने और उनके साथ विचार-विमर्श के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के आधार पर नागरिक नेतृत्व को बढ़ावा दिलाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत नागरिक नेताओं के सफल मामलों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने सेवाओं में सुधार व शासन की संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयास किए हैं। गुजरात में दो केस स्टडी का दस्तावेजीकरण किया गया है। जल और सफाई की व्यवस्था सुधारने में नागरिकों की सहभागिता की भूमिका इसमें जांची गई है। दूसरी तरफ, भचाऊ में सुरक्षित घरों के निर्माण में नागरिक शामिल हों, उसकी प्रक्रिया जांची गई है।

द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की स्थापना हो रही है और इसमें 'उन्नति' सलाहकार समिति की सदस्य है।

२. सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

(क) दलित अधिकार

राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में ११ दलित संदर्भ केन्द्रों द्वारा दलित अधिकारों की प्राप्ति सम्बंधी प्रवृत्तियों को समर्थन दिया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर १४ अप्रैल को दलित समूहों के सहयोग से ९ क्षेत्रों में समारोह आयोजित किए गए। इसमें १५०० दलित महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस अवधि के दौरान दलितों के खिलाफ अत्याचार के १३ और जमीन अतिक्रमण के ७ मामलों को लेकर कार्यवाही की गई। दलित अधिकार अभियान में नए १११ पुरुषों और ४६ महिलाओं सहित कुल १५७ नए सदस्य दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा दलितों व आदिवासियों के कानूनों के विषय में तहसील स्तर की समिति के सदस्यों के लिए दो दिवसीय एक तालीम आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में लगभग ढ़ाई सौ पुरुष व महिला सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। पश्चिम राजस्थान में दलितों का संगठनः संदर्भ और संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय परिसंवाद आयोजित हुआ। इस परिसंवाद को श्री मार्टिन मेकवान ने सम्बोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर मंडल स्थापित करने की जरूरत और प्रतिबद्धतापूर्वक काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। परिसंवाद में विविध विद्वानों, वकीलों, ग्राम विकास समिति के सदस्यों, तहसील स्तर की समिति के

अध्यक्षों, नागरिक समाज के संगठनों के कार्यकर्ताओं और दलित संदर्भ केन्द्रों के कार्यकर्ताओं सहित ५० लोगों ने भाग लिया। पिछले एक वर्ष से १२ कार्यकर्ताओं को पैरालीगल के रूप में काम के लिए बढ़ावा दिया गया है। वे अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पैरालीगल स्टडीज के सहयोग के साथ काम करते हैं। उनकी तालीम चार चरणों में आयोजित की गई। इसमें कानूनी साक्षरता, ज़मीन के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और दलित अधिकारों जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। इस प्रक्रिया के तहत एक परीक्षा ली गई और पांच सहभागी उत्तीर्ण हुए। फलौदी में पत्रकारों और वकीलों के साथ एक बैठक की गई। इसमें १५ लोग हाज़िर रहे। इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना था कि अन्य हितधारकों के साथ सम्पर्क करने और दलितों के मामलों को व्यापक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हो। सिंदरी तथा शेरगढ़ तहसीलों में स्वयं सहायता समूहों की महिला नेताओं के लिए दो तालीमें आयोजित की गईं। इसमें ७० महिला नेताओं ने भाग लिया।

(ख) मुख्य धारा में महिलाएं

इथोपिया में २६ से ३१ मई, २००८ के दौरान 'ह्युमेनिटेरियन अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप' द्वारा 'बिल्डिंग सेफर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन' पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'उन्नति' से एक भाई और एक बहन, दो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विपत्ति, युद्ध और संघर्ष जैसी आपात परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के दुर्व्यवहार के बारे में जांच करने की प्रक्रिया के बारे में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की कुशलता स्थापित करने तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासिचव द्वारा मानवतावादी सहायता करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार रोकने व उनकी शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये २००२ में नेपाल तथा पश्चिम अफ्रीका में निर्वासितों की छावनियों में हुए शोषण सम्बंधी रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार किए गए हैं। जांच की जिस कार्यवाही का निदर्शन किया गया, उसमें इन दिशानिर्देशों का उपयोग किया गया। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का मजबूतीकरण विषयक संशोधन अध्ययन के अंतर्गत प्रोजेक्ट की अंतिम सारांश रूपी रिपोर्ट तैयार की गई। इसके साथ-साथ नेपाल में ५-१० अगस्त, २००८ के दौरान दक्षिण एशिया की जो कार्यशाला आयोजित की गई, उसके बारे में भी प्रस्तुतिकरण किया गया।

(ग) मुख्य धारा में विकलांगता

अहमदाबाद के कालूपुर स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के एक्सेस रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा एक्सेस ऑडिट किया गया। उन्नति द्वारा सदस्यों के लिए आधे दिन का एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्बंध में रिपोर्ट तैयार हुई है और वह रेलवे अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

(घ) जीवन निर्वाह को बढ़ावा

गुजरात में कच्छ के भचाऊ में ७ बस्तियों में १५० महिलाओं की कशीदाकारी कुशलता का मूल्यांकन किया गया। भचाऊ व अहमदाबाद के कार्यालयों में संग्रह की व्यवस्था का संचालन सुधारा गया है। महिला कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार खोजा जा रहा है। संभावित ग्राहकों में निर्यातक, स्थानीय उद्यमी और पर्यटक शामिल हैं।

३. विपत्ति जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक

राजस्थान में पिछले १० महीनों से आपदा जोखिम खटाने के विषय में समुदाय व नागरिक समाज के संगठनों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रयास किया जा रहा है। अहमदाबाद की बीमा सेवा के सहयोग से बीमा सम्बंधी दो दिवसीय एक तालीम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें २६ लोगों ने भाग लिया। ७ परिवारों को बीमा के साथ जोड़ा गया और ४ परिवारों को स्वास्थ्य के बीमा का दावा मिले, इसकी प्रक्रिया में समर्थन दिया गया। पुणे की संस्था मार्केट प्लस के समर्थन से विभिन्न प्रकार की खेती से जुड़े बीमा सम्बंधी एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें फसल बीमा, पशु बीमा, गोदाम बीमा और सामुदायिक बीमा जैसे बीमा के बारे में चर्चा की गई। इसमें ७ संगठनों के २३ सहभागियों ने हिस्सा लिया। गोचर भूमि विकास के प्रयास बाड़मेर जिले में सिंदरी, बालोतरा व कल्याणपुर तहसीलों तथा जोधपुर जिले

की शेरगढ व फलौदी तहसीलों में ३८ छोटे व सीमांत किसान परिवारों द्वारा किए गए हैं। कार्य के प्रत्येक स्थल पर लाभार्थियों का चयन समुदाय आधारित निर्देशक तय करके तथा निःसहायता का विश्लेषण कर किया गया है। उनका जोधपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में एक शैक्षणिक प्रवास भी आयोजित किया गया। वहां उन्हें आकाशी खेती के लिए जिन बागबानी फसलों को लगाया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही समिति के प्रत्येक सदस्य की जो भूमिका होगी और प्रवृत्तियों का आयोजन जैसे किया जाएगा, उसकी कारगर व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। प्रत्येक स्थल पर तीन लाभार्थियों की बनी एक खरीद समिति का गठन किया गया है। इसमें एक क्षेत्रीय प्रायोजक होता है और 'उन्नति' के कार्यकर्ता भी इसमें होते हैं। इस समिति से कच्चे माल की प्राप्ति कम खर्चीली और पारदर्शी बनती है। साथ ही जोखिम का विश्लेषण भी किया जाता है और उस जोखिम के निवारण के लिए आयोजन भी किया जाता है। कार्य के तमाम स्थलों पर स्वास्थ्य व सफाई सम्बंधी एक दिवसीय तालीमें आयोजित की गईं। इसमें सिंदरी व शेरगढ़ तहसीलों की ग्रामीण विकास समितियों के सदस्य हाजिर रहे।

गुजरात में कच्छ जिले के गांधीधाम में १६ से १८ जुलाई, २००८ के दौरान 'मालिक प्रेरित पुनर्निर्माणः नीतिगत ढांचे' की ओर विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श सभा आयोजित की गई। दक्षिण एशिया के बेसिन के सदस्य होने के नाते यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह संस्था आपदा के प्रतिकार की तैयारियों का एक नेटवर्क है। इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत के गुजरात, तमिलनाडु तथा कश्मीर के अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया। मालिक स्वयं ही गृह निर्माण करे, इसके लिए सबने तंत्र विकसित करने के अनुभव सुनाए। इस प्रकार की नीति से मात्र मालिक का संतोष का स्तर ही ऊंचा नहीं जाता है, बल्कि आपदा का जोखिम घटाने के लिए सुरक्षा के जो कदम जरूरी हैं, उसके बारे में जागृति में वृद्धि होती है। इसके अलावा सरकार का मुआवजा प्राप्ति व उसका उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। 'ईको' के समर्थन से सहभागी शिक्षा केन्द्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में केसरगंज तहसील की पांच पंचायतों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के सामान की शक्ति में वृद्धि विषय पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका इरादा घरेलू जमीन ऊपर लाना, हैण्डपम्प की जगह ऊंची लाना और निःसहाय समूह के लोगों को काम के बदले नकदी दिलाना तथा विपत्ति के प्रतिकार की तैयारी के लिए समुदाय को तालीम देना है। कच्छ जिले में भचाऊ में निःसहाय परिवारों के लिए १५६ घरों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 'विपत्ति के खिलाफ प्रतिभाव में मानसिक-सामाजिक सुरक्षाः महत्वपूर्ण सिद्धांत व कदम' तथा 'आपदा के बाद पुनर्निर्माण में अर्ध स्थायी अंतरिम आवासः मानस में परिवर्तन की जरूरत' इन दो पुस्तकों को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

खसरा नं. 650, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाई पास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-66612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।